

अध्याय-2

गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विभागों और
संस्थाओं से संबंधित
अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

अध्याय-2

गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विभागों और संस्थाओं से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

वित्त विभाग

2.1 उत्तराखण्ड में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

2.1.1 परिचय

भारत एक कल्याणकारी राज्य के रूप में अनेक कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से अपने जरूरतमंद लोगों को विभिन्न लाभ हस्तांतरित करता रहा है। आधार के तेजी से रोलआउट होने के पश्चात, भारत सरकार ने आधुनिक सूचना और संचार तकनीकी का उपयोग कर वितरण प्रक्रियाओं की पुनर्रचना करके 1 जनवरी 2013 को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी बी टी) योजना प्रारम्भ करके योजनाओं के कार्यान्वयन में विद्यमान जटिलता¹ को दूर करने का प्रयास किया गया। डी बी टी का उद्देश्य लक्षित लाभार्थियों को उनके बैंक/डाक खातों के माध्यम से सीधे लाभ हस्तांतरित करना है।

उत्तराखण्ड में, 80 विभागों में से 30 में डी बी टी के अन्तर्गत 221 योजनाएँ² चालू थीं। 2017-18 से 2020-21 (जुलाई 2020 तक) की अवधि के दौरान, राज्य में डी बी टी के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या 35.34 लाख से 55.85 लाख के मध्य थी और इन लाभार्थियों को कुल ₹ 7,145.49 करोड़ की धनराशि वितरित की गई थी (*परिशिष्ट-2.1.1*)।

2.1.2 संगठनात्मक व्यवस्थाएं

राज्य डी बी टी प्रकोष्ठ³ का नेतृत्व सचिव (वित्त) करते हैं जो राज्य में डी बी टी से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल अधिकारी/समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं। वह विभिन्न विभागों के प्रमुखों, जो डी बी टी स्पेक्ट्रम के अन्तर्गत चिन्हित की गई योजनाओं को लागू करते हैं, के साथ समन्वय और संपर्क के लिए उत्तरदायी हैं। समाज कल्याण विभाग (स क वि), जिसे लेखापरीक्षा द्वारा उसकी वृद्धावस्था पेंशन (ओ ए पी) और विधवा पेंशन (डब्ल्यू पी) योजनाओं में डी बी टी के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के मूल्यांकन के लिए चयनित किया गया था, डी बी टी के लिए उपयुक्त विशिष्ट योजनाओं और/या उनके घटकों को चिन्हित करने, संबंधित योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान और प्रमाणीकरण, योजनावार लाभार्थी विवरण वाले डेटाबेस का रखरखाव, लाभार्थी डेटाबेस में आधार की सीडिंग, अंतिम लाभार्थियों को संवितरण हेतु भुगतान फाइलों का सृजन, सत्यापित लाभार्थी डेटा

¹ सामान्य-जन को लाभों का हस्तांतरण बिचौलियों के अस्तित्व, विलम्ब, पारदर्शिता की कमी, दोहराव और चोरी, आदि जैसी कमियों से भरा हुआ था।

² 107 केंद्र प्रायोजित योजनाएँ और 114 राज्य योजनाएँ।

³ राज्य डी बी टी प्रकोष्ठ की स्थापना अगस्त 2016 में विभिन्न योजनाओं में डी बी टी के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए एक केन्द्र के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से की गई थी।

का डिजिटाइजेशन और रीयल टाइम मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एम आई एस) पोर्टल का सृजन एवं रखरखाव तथा डेटा को समय पर अद्यतन और रख-रखाव करने हेतु अपनी सभी योजनाओं की जाँच के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग (कोषागार निदेशालय) एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई एफ एम एस) का उपयोग कर डी बी टी लाभार्थियों को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जब स क वि द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए।

2.1.3 लेखापरीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा में शासन स्तर पर डी बी टी पारिस्थितिकी तंत्र की जाँच और राज्य में स क वि की दो सबसे बड़ी डी बी टी योजनाओं (ओ ए पी और डब्ल्यू पी) का जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन सम्मिलित था। एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते, राज्य के वयोवृद्ध और निराश्रित नागरिकों को बेहतर रहने की स्थिति और बेहतर अस्तित्व प्रदान करने के लिए ओ ए पी और डब्ल्यू पी सरकार के दो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण हैं। 2017-18 से 2020-21 (जुलाई 2020 तक) के दौरान 6.08 लाख से अधिक लाभार्थियों को विभिन्न माहों/किस्तों में ₹ 2,110.57 करोड़ के लाभ का भुगतान किया गया (परिशिष्ट-2.1.2)।

अनुपालन लेखापरीक्षा इस बात का एक स्वतंत्र मूल्यांकन है कि क्या दी गई विषय वस्तु लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, स्थापित संहिता आदि के साथ सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का अनुपालन करती है। “उत्तराखण्ड में डी बी टी के कार्यान्वयन” विषय पर अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु स क वि के 2017-18 से 2020-21 (जुलाई 2020 तक) की अवधि को आच्छादित करते हुए अक्टूबर 2020 से जनवरी 2021 के दौरान अभिलेखों की जाँच की गई थी। इसके अतिरिक्त, स क वि में ओ ए पी और डब्ल्यू पी योजनाओं की डी बी टी की जाँच करने से पहले राज्य डी बी टी प्रकोष्ठ में डी बी टी के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित बुनियादी हस्तक्षेपों की भी जाँच की गई थी। आगे, ओ ए पी और डब्ल्यू पी योजनाओं के लाभार्थियों और आई एफ एम एस के माध्यम से उनके भुगतान संबंधित डेटा डम्प क्रमशः स क वि और कोषागार निदेशालय के वित्त डेटा केंद्र से प्राप्त किए गए थे और ये डेटा विश्लेषण के अधीन थे। डेटा विश्लेषण के निष्कर्षों को आगे स क वि के चार कार्यान्वयन कार्यालयों⁴ में सत्यापित किया गया।

राज्य डी बी टी नोडल अधिकारी (सचिव, वित्त) के साथ 29 सितंबर 2020 को एक प्रवेश गोष्ठी आयोजित की गई थी और उसी स्तर के साथ 4 मई 2022 को एक बहिर्गमन गोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। प्रतिवेदन में शासन के विचारों को उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

⁴ जिला समाज कल्याण अधिकारी (डी एस डब्ल्यू ओ), देहरादून और हरिद्वार, और जिला प्रोबेशन अधिकारी (डी पी ओ), देहरादून और हरिद्वार।

पूर्व की लेखापरीक्षा - ओ ए पी की लेखापरीक्षा पूर्व में 2015-16 से 2017-18 की अवधि को आच्छादित करते हुए मार्च-अक्टूबर 2018 के दौरान संपादित की गई थी और निष्कर्षों को, उत्तराखण्ड राज्य के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2019 के प्रतिवेदन संख्या 2 के प्रस्तर 1.12 के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया था। उक्त रिपोर्ट में वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देशों/ नियमों का अनुपालन न करने, चयन प्रक्रिया में कमी, इनपुट और सत्यापन नियंत्रण की कमी, लाभार्थियों को अधिक/कम भुगतान, मृतकों/अपात्र व्यक्तियों को संवितरण, लाभार्थियों को दोगुना और विलंबित भुगतान आदि जैसे निष्कर्ष सम्मिलित थे। वर्तमान लेखापरीक्षा में भी, ऐसे उदाहरणों की उपस्थिति इस तथ्य को उजागर करती है कि स क वि द्वारा सुधारात्मक उपाय नहीं किए थे।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या राज्य सरकार द्वारा डी बी टी के कार्यान्वयन के लिए डी बी टी दिशा-निर्देशों में अधिदेशित आवश्यक प्रक्रिया की पुनर्रचना की गई ताकि मध्यस्थ स्तरों में कमी, लक्षित लाभार्थियों को भुगतान में विलम्ब और चोरी एवं दोहराव आदि को कम किया जा सके। डी बी टी के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारकों पर नीचे चर्चा की गई है:

2.1.4 डी बी टी की प्रक्रिया

डी बी टी की प्रक्रिया में डी बी टी संरचना में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न मील के पत्थर सम्मिलित हैं। इन उप-प्रक्रियाओं में प्रारंभिक चरण, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी एफ एम एस)/राज्य ई-एफ एम एस पर पंजीकरण, लाभार्थी डेटाबेस का सृजन, लाभार्थी विवरण का सत्यापन और भुगतान एवं फीडबैक लूप सम्मिलित हैं।

2.1.4.1 प्रारंभिक चरण

डी बी टी मिशन मापदंडों के अनुसार, प्रत्येक राज्य में एक डी बी टी प्रकोष्ठ का सृजन किया जाना है, जो विभिन्न योजनाओं को डी बी टी में सुचारू रूप से स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करेगा। डी बी टी प्रकोष्ठ डी बी टी योजनाओं या योजनाओं के घटकों की पहचान करेगा और प्रक्रिया/निधि प्रवाह का अध्ययन करेगा तथा आई टी आधारित प्रणाली/एम आई एस विकसित करेगा, एक शिकायत निवारण इकाई बनाएगा और अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। प्रारंभिक चरणों में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियाँ पाई:

➤ डी बी टी हेतु उपयुक्त योजनाओं की पहचान नहीं की गई

यद्यपि, राज्य सरकार ने डी बी टी प्रकोष्ठ सृजित (अगस्त 2016) किया था, परन्तु प्रकोष्ठ और उसकी समितियों ने राज्य स्तर पर कार्यान्वित की जा रही डी बी टी हेतु उपयुक्त योजनाओं और कार्यक्रमों का विश्लेषण और पहचान नहीं की थी। ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों की पहचान का कार्य विभागों पर छोड़ दिया गया था और इस सम्बन्ध में डी बी टी प्रकोष्ठ द्वारा कोई दिशा-निर्देश/अनुदेश

जारी नहीं किए गए थे। इस महत्वपूर्ण पहलू के अनुश्रवण के अभाव के परिणामस्वरूप विगत तीन वर्षों के दौरान डी बी टी योजनाओं की संख्या स्थिर रही। डी बी टी प्रकोष्ठ, कम से कम एक बार यह देखने के लिए सभी योजनाओं का आकलन कर सकता था कि क्या ऐसी और योजनाएँ हैं जो उपयुक्त थीं और जिन्हें डी बी टी मोड के अन्तर्गत लाया जा सकता था।

शासन द्वारा स्वीकार किया गया कि जहाँ डी बी टी लागू करने की गुंजाइश थी वहाँ संबंधित विभागों ने डी बी टी योजनाओं की पहचान की है।

➤ **डी बी टी योजनाओं और गैर-डी बी टी योजनाओं के बीच कोई अनुपात निर्धारित न होना**

डी बी टी योजनाओं के व्यापक उद्देश्यों के अनुसार सभी शासकीय भुगतान डी बी टी मोड के माध्यम से किए जाने चाहिए। राज्य सरकारें धीरे-धीरे इस दिशा में आगे बढ़ सकती हैं, यदि प्रत्येक विभाग के लिए डी बी टी और गैर-डी बी टी भुगतान के माध्यम से भुगतान का अनुपात तैयार किया जाए और इस संबंध में प्रगति को देखने के लिए इस अनुपात का अनुश्रवण किया जाए। तथापि, डी बी टी प्रकोष्ठ द्वारा डी बी टी योजनाओं और गैर-डी बी टी योजनाओं के भुगतान के बीच ऐसा कोई भी अनुपात नहीं निकाला गया था। इसके अतिरिक्त, विभाग एक योजना को डी बी टी मोड या अन्य माध्यम से कार्यान्वित करने के लिए स्वतंत्र थे। इसलिए गैर-डी बी टी मोड से डी बी टी मोड में योजनाओं का परिवर्तन प्रभावित हुआ। डी बी टी योजनाओं की संख्या स्थिर रही क्योंकि 2017-18 (220 योजनाएँ) से 2020-21 (221 योजनाएँ) तक मात्र एक गैर-डी बी टी मोड योजना को डी बी टी मोड में सम्मिलित किया गया था।

➤ **डी बी टी प्रकोष्ठ के पास कोई समर्पित संसाधन न होना**

राज्य में डी बी टी प्रकोष्ठ या तकनीकी सहायता समूह के पास कोई समर्पित व्यवस्था (कार्यालय, जनशक्ति और बुनियादी ढाँचा आदि) नहीं थी। डी बी टी प्रकोष्ठ और कार्यान्वयन सहायता समूह का गठन विभिन्न विभागों और संस्थानों से लिए गए अधिकारियों से किया गया था और उनके पास कोई समर्पित संसाधन उपलब्ध नहीं थे। इससे डी बी टी योजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन और अनुश्रवण प्रभावित हुए।

➤ **शिकायत निवारण प्रणाली का न होना**

डी बी टी प्रकोष्ठ द्वारा कोई शिकायत निवारण प्रणाली विकसित नहीं की गई थी, इसलिए लाभार्थियों की प्रतिक्रिया, डी बी टी के साथ उनके अनुभव और उनकी शिकायतों को प्रणाली में सम्मिलित करने में सक्षम बनाने का उद्देश्य विफल रहा।

➤ **भुगतान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित न होना**

डी बी टी प्रकोष्ठ द्वारा डी बी टी के माध्यम से निधि हस्तांतरण में अनुचित विलम्ब को रोकने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। यह तब भी था जब कि भारत सरकार (भा स) ने इस संबंध में विशिष्ट समय-सीमा अधिसूचित की थी। विभागों ने भुगतान के लिए अपनी-अपनी

समय-सीमा का पालन किया और लेखापरीक्षा में पाया गया कि लाभार्थियों को पेंशन के संवितरण में विलम्ब हुआ, जैसा कि प्रस्तर 2.1.5.13 में चर्चा की गई है।

2.1.4.2 पी एफ एम एस पर पंजीकरण

दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी डी बी टी योजनाओं के लिए, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य कोषागार को केंद्रीकृत पी एफ एम एस पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। यदि किसी राज्य में ई-एफ एम एस है तो उसे रिवर्स फीडबैक लूप की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए पी एफ एम एस⁵ के साथ संयोज्य होना चाहिए। राज्य सलाहकार बोर्ड ने भी पी एफ एम एस के माध्यम से डी बी टी के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी (सितंबर 2016) किए। डी बी टी प्रकोष्ठ/आई एफ एम एस तथा स क वि के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 221 डी बी टी योजनाओं में से 217 को आई एफ एम एस के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, आई एफ एम एस में आधार और बैंक खाता सत्यापन जैसी पी एफ एम एस के साथ तुलनीय विशेषताएं नहीं थीं। इसलिए, आई एफ एम एस, पी एफ एम एस की तरह मजबूत नहीं था और आधार और बैंक खातों के आधार पर दोहरे/एकाधिक पेंशन के मामलों का पता लगाने में विफल रहा, जैसा कि प्रस्तर 2.1.5.9 और 2.1.5.10 में चर्चा की गई है।

उत्तराखण्ड सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2020) तथा अवगत कराया कि चार सी एस एस योजनाएँ पी एफ एम एस के माध्यम से चल रही हैं। निदेशक, कोषागार ने भी स्वीकार किया (नवम्बर 2020) कि आई एफ एम एस में आधार सत्यापन और बैंक खाता सत्यापन जैसी विशेषताएँ नहीं थीं।

2.1.4.3 लाभार्थी डेटाबेस का सृजन

डी बी टी मिशन फ्लायर दस्तावेज़ के अनुसार, सब्सिडी परिव्यय की समय प्राप्ति और लाभों और सेवाओं की राष्ट्रीय स्तर पर सुवाहयता के लिए प्रभावी योजना बनाने में सरकार की सहायता करने के लिए सार्वभौमिक लाभार्थी डेटाबेस का सृजन किया जाना था।

डी बी टी प्रकोष्ठ के अभिलेखों की जाँच (अक्टूबर 2020) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य में सार्वभौमिक लाभार्थी डेटाबेस अस्तित्व में नहीं था। विभागों ने अपने स्वयं के योजना-वार लाभार्थियों के डेटाबेस का रख-रखाव किया, जिनका उपयोग इच्छित प्राप्तकर्ताओं को लाभ हस्तांतरित करने हेतु आधार के रूप में किया गया था। इस प्रकार, योजना के नियोजन में सहायता, सब्सिडी का

⁵ पी एफ एम एस एक वेब-आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन है जिसे महालेखा नियंत्रक, भा स द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया गया है। इसकी शुरुआत भा स द्वारा जारी की गई निधियों पर नज़र रखने और व्यय की रीयल टाइम रिपोर्टिंग के उद्देश्य से की गई थी। दूसरी ओर, आई एफ एम एस को राज्य सरकार द्वारा राज्य ट्रेजरी से वित्तीय लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्यान्वित किया जाता है। तथापि, आई एफ एम एस में आधार सत्यापन के माध्यम से लाभार्थी की पहचान का सत्यापन और उसके वित्तीय क्रेडेंशियल्स जैसे बैंक खाते और आई एफ एस सी कोड सत्यापन जैसी विशेषताएं नहीं थीं।

युक्तिकरण, लाभों और सेवाओं की सुवाह्यता, फर्जी और डुप्लिकेट लाभार्थियों की जाँच करने और एक ही व्यक्ति को कई लाभों की जाँच करने आदि जैसे लाभों को सार्वभौमिक लाभार्थी डेटाबेस के अभाव में प्राप्त नहीं किया जा सका।

स क वि के पास ओ ए पी, डब्ल्यू पी, किसान पेंशन और विकलांगता पेंशन जैसी कई पेंशन योजनाएँ हैं। विभाग ने प्रत्येक पेंशन योजना के लिए अलग-अलग डेटाबेस तैयार किया। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन पेंशनों के डेटाबेस के बीच आंतरिक एकीकरण की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप पेंशनभोगियों को कई पेंशन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के उदाहरण प्राप्त हुए, जैसा कि प्रस्तर 2.1.5.9 से 2.1.5.12 में चर्चा की गई है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, शासन द्वारा अवगत कराया गया कि आधार अधिनियम के अन्तर्गत सभी योजनाओं को अधिसूचित किए जाने के बाद शासन सार्वभौमिक डेटाबेस के सृजन की दिशा में आगे बढ़ेगा। शासन ने यह भी सूचित किया है कि डी बी टी एम आई एस के पूर्ण रूप से क्रियाशील होने के बाद ऐसे डेटाबेस में परिवर्तित किया जा सकता है।

2.1.4.4 लाभार्थी विवरण का सत्यापन

डी बी टी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) में परिकल्पना की गई थी कि बैंक खातों और लाभार्थियों के आधार विवरणों को क्रमशः बैंकों और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से सत्यापित किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने पाया (अक्टूबर 2020) कि:

- लाभार्थियों के आधार और बैंक खाता संख्या के सत्यापन की कोई सुविधा नहीं थी। विभाग के सामाजिक सुरक्षा पेंशन (एस एस पी) पोर्टल ने मात्र आधार और बैंक खाता संख्या के दोहरेपन की जाँच की। आधार और बैंक खातों का सत्यापन न होने से फर्जी आधार संख्या और डुप्लीकेट बैंक खातों के उपयोग से लाभ प्राप्त करने की गुंजाइश रही। समुचित सत्यापन के अभाव में, यह पाया गया कि चयनित जिलों में चार लाभार्थियों सहित, राज्य के 67 लाभार्थियों को एक ही योजना में दोहरी पेंशन या कई योजनाओं में दोहरी पेंशन से लाभान्वित किया गया था, जैसा कि प्रस्तर 2.1.5.9 और 2.1.5.10 में चर्चा की गई है। निदेशक, स क वि ने लेखापरीक्षा टिप्पणी के साथ सहमति व्यक्त की (मार्च 2021) और पोर्टल में आधार और बैंक खाता संख्या के लिए सत्यापन सुविधा के अभाव को कमियों के लिए उत्तरदायी ठहराया।
- भा स ने डी बी टी के लिए पूर्व-आवश्यकता के रूप में बैंक खातों में आधार सीडिंग पर प्रकाश डाला है। लाभार्थी डेटाबेस में बैंक खातों की आधार सीडिंग से दोहराव को कम करने और रिसाव को रोकने में मदद मिलेगी। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि लाभार्थी बैंक खातों में आधार सीडिंग की स्थिति विभाग और आई एफ एम एस के पास उपलब्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा में देहरादून और हरिद्वार जिले में लाभार्थियों के कुल 1,80,173 बैंक खातों में से 1,71,222 बैंक खातों की आधार सीडिंग की स्थिति के बारे में बैंकों से पूछताछ की गई। तथापि, बैंक मात्र

1,12,886 लाभार्थी बैंक खातों का विवरण प्रदान कर सके, जिनमें से 39,692 बैंक खाते (35 प्रतिशत) अन-सीडेड थे। इसलिए, स क वि/आई एफ एम एस के साथ-साथ बैंक भी आधार सीडिंग में पिछड़ रहे थे।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, शासन ने अवगत कराया कि आधार प्रमाणीकरण के लिए एक शासनादेश जारी किया गया है और विभाग शीघ्र ही पेंशनभोगियों/आवेदकों के आधार प्रमाणीकरण के लिए यू आई डी ए आई की वेब सेवा का उपयोग करने जा रहा है। स क वि के आई टी प्रकोष्ठ के अधिकारियों ने अवगत कराया कि लाभार्थी प्रबंधन प्रणाली (बी एम एस) में प्रासंगिक जाँच लागू की गई थी और यह उचित समय पर आगे की विसंगतियों की जाँच करेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा आधार की प्रामाणिकता के लिए प्रासंगिक जाँच लागू नहीं की गई थी तथा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर यह अवगत कराया गया कि शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

2.1.4.5 भुगतान और फीडबैक लूप

डी बी टी के अन्तर्गत लाभार्थियों को भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए विभागीय आई टी प्रणाली (स क वि के मामले में यह एस एस पी पोर्टल है, अर्थात् <https://ssp.uk.gov.in>) को कोषागार निदेशालय द्वारा संचालित आई एफ एम एस के साथ एकीकृत किया गया है। एस एस पी पोर्टल बी एम एस के लिए एक समेकित पोर्टल है। दूसरी ओर, आई एफ एम एस उत्तराखण्ड सरकार के एक सामान्य भुगतान मंच के रूप में कार्य करता है और एस एस पी पोर्टल के साथ-साथ अन्य सभी विभागों द्वारा अग्रेषित लाभार्थियों को भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।

लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त होने के बाद, जिला समाज कल्याण अधिकारी (डी एस डब्ल्यू ओ)/जिला प्रोवेशन अधिकारी (डी पी ओ) एस एस पी पोर्टल में पेंशनभोगियों के आवश्यक विवरण को दर्ज करते हैं और आई एफ एम एस पोर्टल पर डेटा आयात करके पेंशन को संसाधित करते हैं और आई एफ एम एस पोर्टल पर ऑनलाइन देयक तैयार करते हैं। आई एफ एम एस पोर्टल में एक समय में 5,000 अभिलेख प्राप्त करने की सीमा है, इसलिए पेंशन पोर्टल में हर बार 5,000 के सेट में डेटा को संसाधित करने का प्रावधान है। आई एफ एम एस पोर्टल पर देयकों के सफल सृजन के बाद, डी एस डब्ल्यू ओ/डी पी ओ भुगतान के लिए कोषागार में देयकों की हस्ताक्षरित प्रति भौतिक रूप से भी भेजते हैं। जैसे ही कोषागार को देयक की भौतिक प्रति प्राप्त होती है, यह देयकों को भुगतान के लिए संसाधित करता है। इन देयकों की हार्ड कॉपी और ऑनलाइन डेटा की जाँच एवं मिलान कोषागार अधिकारी (टी ओ) स्तर पर किया जाता है। देयक सही पाए जाने पर, भुगतान के लिए सभी स्तरों⁶ द्वारा अनुमोदित किया जाता है। टी ओ द्वारा देयक पारित किए जाने के बाद ऑपरेटर द्वारा ई-कुबेर (भुगतान के लिए आर बी आई की प्रणाली) पर भुगतान आदेश अपलोड किया जाता है और

⁶ ऑपरेटर (निर्माता), पर्यवेक्षक (जाँचकर्ता) और कोषागार अधिकारी (अनुमोदक)।

भुगतान उसी स्तर के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में जाता है। यदि भुगतान सफल होता है, तो राज्य की समेकित निधि डेबिट की जाती है और आर बी आई द्वारा एक विशिष्ट लेन-देन संदर्भ (यू टी आर) संख्या उत्पन्न की जाती है। यदि खाता संख्या और आई एफ एस सी कोड में विसंगतियों के कारण लेन-देन विफल हो जाता है, तो राज्य की समेकित निधि डेबिट नहीं होती है और प्रणाली में विफलता के लिए एक ध्वज उत्पन्न होता है। विफलता रिपोर्ट एस एस पी पोर्टल पर दिखाई जाती है और डी एस डब्ल्यू ओ, टी ओ को विफल लेन-देन की धनराशि के लिए डिमांड ड्राफ्ट (डी डी) प्रदान करने के लिए कह सकता है। इसके बाद डी डी को कार्यालय के बैंक खाते में जमा किया जाता है। जब लाभार्थी डी एस डब्ल्यू ओ कार्यालय में अपना विवरण सही करवाते हैं, तो उनका भुगतान डी एस डब्ल्यू ओ कार्यालय से बैंक एडवाइस के माध्यम से जारी किया जाता है। नमूना जाँच किए गए जिलों में डी एस डब्ल्यू ओ/डी पी ओ के अभिलेखों, एस एस पी पोर्टल और आई एफ एम एस की जाँच के दौरान निम्नलिखित कमियाँ पायी गईं:

- एस एस पी पोर्टल मैनुअल हस्तक्षेप के बिना प्रत्येक तिमाही में पेंशन देयकों को स्वचालित रूप से आगे बढ़ाने के लिए सुविधाओं से रहित था। इस तरह के स्वचालन से पेंशन के विलंबित भुगतान को रोका जा सकता है और विभाग की अल्प उपलब्ध जनशक्ति पर काम का बोझ कम किया जा सकता है।
- विभाग बी एम एस में उपलब्ध लाभार्थियों के डेटा का विभागीय स्तर पर केंद्रीकृत तरीके से स्वचालित रूप से पेंशन संसाधित करने के लिए उपयोग नहीं कर रहा था। इसके बजाय, प्रत्येक जिले में डी एस डब्ल्यू ओ/डी पी ओ द्वारा प्रत्येक तिमाही में पेंशन संसाधित की गई थी जो लाभार्थियों के केंद्रीकृत डेटा की उपलब्धता के कारण आवश्यक नहीं थी। इसलिए, डी बी टी की पूरी क्षमता का वास्तविक उपयोग नहीं किया गया था जो जिला कार्यालयों पर काम के बोझ को कम कर सकता था तथा पेंशन के संवितरण में विलम्ब को रोक सकता था।
- आई एफ एम एस बैंक खातों और आई एफ एस सी कोड की प्रामाणिकता को सत्यापित करने में सक्षम नहीं था। यह ई-कुबेर स्तर पर लेन-देन की विफलताओं का प्रमुख कारण था। आई एफ एम एस में उपयुक्त सुविधाओं को सक्षम करके ऐसी विफलताओं से बचा जा सकता था।
- नमूना जिलों में डी एस डब्ल्यू ओ/डी पी ओ के अभिलेखों की जाँच (दिसंबर 2020) में पाया गया कि ओ ए पी और डब्ल्यू पी योजनाओं से संबंधित ₹ 2.82 करोड़, (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान चयनित जिलों में संवितरण का 0.39 प्रतिशत) की लेन-देन विफलताओं के कारण असंवितरित पेंशन धनराशि, संबंधित डी एस डब्ल्यू ओ/डी पी ओ को 7,286 पेंशनभोगियों को भुगतान के लिए डी डी के रूप में कोषागार द्वारा प्रदान की गई थी, जिनकी पेंशन किस्त लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विफल हो गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा इन पेंशनभोगियों को समयबद्ध भुगतान के संबंध

- में कोई आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि डी एस डब्ल्यू ओ/डी पी ओ ने न तो पुनः संसाधित मामलों की संख्या के अभिलेखों का और न ही ऐसे लाभार्थियों को वास्तव में भुगतान की गई धनराशि के अभिलेखों रखरखाव किया गया। इस प्रकार, विभाग में असफल धनराशियों के भुगतान के लिए एक सुस्पष्ट प्रणाली का अभाव था।
- डी एस डब्ल्यू ओ/डी पी ओ को डी डी उपलब्ध कराने के लिए टी ओ द्वारा राज्य की समेकित निधि से धनराशि का आहरण किया जाना और इन धनराशियों को डी एस डब्ल्यू ओ/डी पी ओ के बैंक खातों में जमा किया जाना वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था।
 - बी एम एस द्वारा शुरू किए गए लेन-देन को प्रत्येक लेन-देन के संबंध में लेन-देन संदर्भ संख्या और तिथि के रूप में आई एफ एम एस से प्रतिक्रिया मिलती है। तथापि, लेखापरीक्षा ने बी एम एस डेटा के विश्लेषण के दौरान पाया कि 82,034 लेन-देन (ओ ए पी के 60,609 लेन-देन⁷ और डब्ल्यू पी के 21,425 लेन-देन⁸) में आई एफ एम एस से लेन-देन संदर्भ संख्या या प्राप्त तिथियों की स्वचालित प्रविष्टि नहीं थी। यह बी एम एस और आई एफ एम एस के बीच एकीकरण-सेवा में खराबी के दृष्टांतों को दर्शाता है।
 - बी एम एस का उपयोग करके डी एस डब्ल्यू ओ/डी पी ओ द्वारा लेन-देन की सफलता या विफलता के डेटा को एक्सेल या कॉमा सेपरेटेड वैल्यू जैसे उपभोज्य प्रारूपों में डाउनलोड करने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। आई एफ एम एस से भुगतान के इन संसाधित डेटा को सुधार के बाद विफल लेन-देन की पहचान करने और पुनः संसाधित करने के लिए आगे उपयोग नहीं किया गया था। इस प्रकार, विभाग विफल लेन-देन पर आगे की गई प्रक्रियात्मक कार्यवाही के संबंध में लेखापरीक्षा को डेटा उपलब्ध कराने में असमर्थ था।
 - बी एम एस और मृत्यु पंजीकरण प्राधिकरणों का एकीकरण मृत लाभार्थियों की पेंशन को समय पर रोकने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता। तथापि, विभाग में ऐसा कोई एकीकरण नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, मृतक लाभार्थियों को पेंशन जारी करने के मामले देखे गए (प्रस्तर 2.1.5.16)।
 - शासनादेश (मई 2016) में सॉफ्टवेयर में सही मोबाइल नंबर दर्ज करने का प्रावधान है ताकि पेंशन संवितरण के बारे में अद्यतन जानकारी सभी लाभार्थियों को लघु संदेश सेवा (एस एम एस) के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सके। इसके अतिरिक्त, यह कदम जैम (जनधन बैंक खाते,

⁷ डी एस डब्ल्यू ओ, देहरादून : 106, डी एस डब्ल्यू ओ, पौड़ी : 170, डी एस डब्ल्यू ओ, टिहरी : 34,891, डी एस डब्ल्यू ओ, उधम सिंह नगर : 5,430 और डी एस डब्ल्यू ओ, उत्तरकाशी : 20,012।

⁸ डी पी ओ, बागेश्वर : 14, डी पी ओ, चमोली : 07, डी पी ओ, देहरादून : 3,984, डी पी ओ, हरिद्वार : 01, डी पी ओ, पौड़ी : 1,537, डी पी ओ, टिहरी : 8,081 और डी पी ओ, उधम सिंह नगर : 7,801।

आधार और मोबाइल) ट्रिनिटी के साथ सभी डी बी टी भुगतानों का लाभ उठाने के लिए भा स के उद्देश्य के अनुरूप था। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में ओ ए पी में 8,661 लाभार्थियों और डब्ल्यू पी में 3,102 लाभार्थियों के डेटाबेस में बड़ी संख्या में अमान्य मोबाइल नंबरों⁹ का अक्सर उपयोग किया गया था। उदाहरण के लिए, मोबाइल नंबर 59XXXXXX07 का उपयोग 103 लाभार्थियों के लिए और मोबाइल नंबर 11XXXXXX11 का उपयोग 4,217 लाभार्थियों के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त, वैध दिखने वाले मोबाइल नंबरों का भी कई लाभार्थियों के लिए उपयोग किया गया था अर्थात् मोबाइल नंबर 96XXXXXX27 का उपयोग 100 लाभार्थियों के लिए और 1,517 लाभार्थियों के लिए मोबाइल नंबर 98XXXXXX00 का उपयोग किया गया था। डेटाबेस में पेंशनभोगियों के मोबाइल नंबर की रिकॉर्डिंग में इस तरह की विसंगतियों ने लाभार्थियों को एस एम एस की सुविधा के माध्यम से जानकारी प्रदान करने और भुगतान पर प्रतिक्रिया देने के अवसर के उद्देश्य को विफल कर दिया। इस प्रकार, यह प्रदर्शित करता है कि सभी पेंशनभोगियों के अभिलेखों में सही मोबाइल नम्बर अद्यतन नहीं किए गए हैं।

निदेशक, स क वि ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि पोर्टल में मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए अनिवार्य प्रावधान था जिसके कारण उन लाभार्थियों के मामलों में गलत मोबाइल नंबर दर्ज किया गया जिन्होंने अपने मोबाइल नंबर प्रस्तुत नहीं किए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि स क वि द्वारा लाभार्थियों के मोबाइल नम्बर अद्यतन करने हेतु कोई कदम नहीं उठाये गए हैं।

2.1.5 वृद्धावस्था और विधवा पेंशन में डी बी टी का कार्यान्वयन

लेखापरीक्षा ने दो चयनित जिलों में स क वि की ओ ए पी और डब्ल्यू पी योजनाओं, एस एस पी पोर्टल (स क वि का बी एम एस) और आई एफ एम एस पोर्टल (भुगतान मंच) की कार्यप्रणाली की जाँच करके आधारभूत स्तर पर डी बी टी के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी बी टी के लिए भा स द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को राज्य में समग्र रूप से प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, प्रणाली के दृष्टिकोण से लेखापरीक्षा के निष्कर्ष अपर्याप्तता और विसंगतियों को भी उजागर करते हैं। लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:

2.1.5.1 पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण का अभाव

डी बी टी के लिए एस ओ पी और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन एस ए पी) के दिशा-निर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि डी बी टी योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान और प्रमाणीकरण का उत्तरदायित्व विभाग का है।

नमूना जाँच किए गए डी एस डब्ल्यू ओ/डी पी ओ के अभिलेखों की जाँच (दिसंबर 2020) में पाया गया कि लाभार्थियों की पहचान के लिए विभाग द्वारा कभी कोई भी सर्वेक्षण/अभ्यास नहीं किया गया

⁹ 11XXXXXX11, 12XXXXXX90, 59XXXXXX34, 59XXXXXX64, 18XXXXXX09, 12XXXXXX89, 12XXXXXX95, 59XXXXXX43, 45XXXXXX45, 59XXXXXX07 और 14XXXXXX14।

था। लाभार्थियों ने स्वयं पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन किया और पेंशन स्वीकृत होने से पहले विभिन्न चरणों में सत्यापन कराया। इस प्रक्रिया में अपनी पात्रता साबित करने का उत्तरदायित्व लाभार्थियों पर था। यह भा स द्वारा जारी एस ओ पी के साथ-साथ एन एस ए पी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, शासन ने अवगत कराया कि गरीब बस्तियों आदि में शिविर आयोजित किए गये ताकि पात्र व्यक्तियों को एस एस पी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। यह भी अवगत कराया गया कि विभाग लाभार्थियों की पहचान के लिए समय पर सर्वेक्षण के लिए तंत्र तैयार करना सुनिश्चित करेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग लाभार्थियों को चिन्हित तथा प्रमाणित करने में विफल रहा, जो कि एन एस ए पी दिशा-निर्देशों के अनुसार उसका उत्तरदायित्व था।

2.1.5.2 पात्र जनसंख्या का बहिष्करण

राज्य सरकार के निर्देशों (मई 2016) के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेंशन के लिए आवेदनों को क्रमशः खण्ड विकास अधिकारी (बी डी ओ) और उप-जिला अधिकारी (एस डी एम) की अनुशंसाओं के बाद डी एस डब्ल्यू ओ/डी पी ओ को अग्रेषित किए जाने थे। इन प्रपत्रों की जाँच/परीक्षण सहायक समाज कल्याण अधिकारियों (ए एस डब्ल्यू ओ) द्वारा भी की गई थी। जाँच के बाद पात्र पाए गए लाभार्थियों के आवेदन प्रपत्रों को पेंशन की आगामी प्रक्रिया के लिए पेंशन पोर्टल में दर्ज किया गया था।

लेखापरीक्षा अवधि से संबंधित डेटा की जाँच और विश्लेषण (दिसंबर 2020) में पाया गया कि चयनित डी एस डब्ल्यू ओ/डी पी ओ में कुल 450 आवेदकों¹⁰ और राज्य में 1,008 आवेदकों¹¹, जिनके आवेदन प्रपत्र उपयुक्त पाए गए थे और जिनके विवरण पेंशन के प्रसंस्करण के लिए जाँच के बाद पोर्टल में दर्ज किए गए थे, उन्हें पेंशन का भुगतान नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया (दिसम्बर 2020) कि 450 आवेदकों में से, 295 आवेदक वास्तव में योजना के पात्रता मानदंडों¹² को पूरा नहीं करने के कारण अपात्र थे। शेष 155 आवेदकों¹³ में से, 110 आवेदकों को बिना किसी निश्चित कारणों को दर्ज किए अस्वीकार कर दिया गया था, जबकि शेष 45 आवेदकों को ग्राम सभा से समर्थन की कमी (01), बैंक खाते का विवरण (26), परिवार रजिस्टर की प्रति (03), आधार कार्ड (03), गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) प्रमाण पत्र (03), आय प्रमाण पत्र (03) और वयस्क पुत्र वाले

¹⁰ डी एस डब्ल्यू ओ, देहरादून : 209 आवेदक, डी एस डब्ल्यू ओ, हरिद्वार : 121 आवेदक, डी पी ओ, देहरादून : 65 आवेदक और डी पी ओ, हरिद्वार : 55 आवेदक।

¹¹ ओ ए पी: 688 आवेदक और डब्ल्यू पी: 320 आवेदक।

¹² ओ ए पी हेतु: न्यूनतम आय- 60 वर्ष, आय- बी पी एल व्यक्ति या सभी स्रोतों से अधिकतम ₹ 4,000 की मासिक आय वाले व्यक्ति और ग्राम सभा का समर्थन। डब्ल्यू पी हेतु: न्यूनतम आय- 18 वर्ष, लिंग-महिला, आय-बी पी एल व्यक्ति या सभी स्रोतों से अधिकतम ₹ 4,000 की मासिक आय वाले व्यक्ति और ग्राम सभा का समर्थन।

¹³ डी एस डब्ल्यू ओ, देहरादून : 100 आवेदक, डी एस डब्ल्यू ओ, हरिद्वार : 31 आवेदक, डी पी ओ, देहरादून : 11 आवेदक और डी पी ओ, हरिद्वार : 13 आवेदक।

आवेदकों के सभी स्रोतों से आय का उल्लेख (06) जैसी प्रक्रियात्मक कमियों के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। तथापि, विभाग द्वारा कोई उपचारात्मक उपाय नहीं किए गये थे और ये 155 आवेदक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से बाहर रह गए थे और आज तक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता से वंचित थे।

इसे इंगित किए जाने पर, डी एस डब्ल्यू ओ और डी पी ओ ने अवगत कराया (नवंबर-दिसंबर 2020) कि लाभार्थियों को उनके आवेदन प्रपत्रों में कुछ कमियों के कारण पेंशन का भुगतान नहीं किया गया था। निदेशक, स क वि ने भी डी एस डब्ल्यू ओ और डी पी ओ के दृष्टिकोण का समर्थन किया (मार्च 2021)। तथापि, स्पष्ट कारणों के अभाव और उपरोक्त लाभार्थियों के आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराने में विभाग की असमर्थता के कारण लेखापरीक्षा कोई आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका।

2.1.5.3 चयन प्रक्रिया की समीक्षा के परिणाम

शासनादेश (जून 2016) के अनुसार, पेंशन लाभों के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए थे और पात्रता मानदंडों के अनुसार और मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुपालन में पेंशन लाभ प्रदान किए जाने थे। चयनित कार्यालयों (जिला देहरादून और हरिद्वार के डी एस डब्ल्यू ओ और डी पी ओ) में लेखापरीक्षा के दौरान ओ ए पी और डब्ल्यू पी योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों की मौजूदा चयन प्रक्रिया की समीक्षा/विश्लेषण किया गया था और यह पाया गया था कि:

- लाभार्थियों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने हेतु कोई सुविधा/प्रावधान उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त, मौजूदा लाभार्थियों के लिए कोई प्रावधान नहीं था जो उन्हें अपने प्रोफाइल और भुगतान वृत्तांत के विवरण की जाँच करने और यदि आवश्यक हो, तो कोई सुधार शुरू करने में सक्षम बना सके।
- शासन ने सभी स्रोतों से लाभार्थियों के लिए अधिकतम आय ₹ 4,000 प्रति माह निर्धारित की थी। तथापि, ऐसा कोई तर्कसंगत आधार नहीं था जिस पर आय का आकलन किया गया था। इससे ऐसे दृष्टांत सामने आए जहाँ राजस्व उप-निरीक्षकों द्वारा आकलित की गई आय राशन कार्डों में लाभार्थियों द्वारा स्वयं घोषित आय से कम थी।
- एन एस ए पी दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 3.1.4 के अनुसार, आवेदन प्राप्त होने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर पात्रता से संबंधित तथ्यों के संदर्भ में आवेदनों को सत्यापित करने के लिए राज्य एक सत्यापन अधिकारी या एक अधिकृत अधिकारी के अन्तर्गत सत्यापन टीम को नामित कर सकते हैं। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जाँच किए गए किसी भी जिले में आवेदनों के सत्यापन के लिए ऐसी टीमों का गठन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने चयनित जिलों में 33,667 आवेदन प्रपत्रों¹⁴ में से 1,688 (5 प्रतिशत) का सत्यापन

¹⁴ नमूना जनपदों में 2017-21 (जुलाई 2020 तक) की अवधि के दौरान अनुमोदित।

किया और 821 लाभार्थियों¹⁵ (49 प्रतिशत) के प्रपत्रों में कमियाँ पाई। इन कमियों में बी डी ओ/एस डी एम की अनुशंसा के बिना पेंशन की स्वीकृति (301 मामले), समय सीमा समाप्त हो चुके आय/बी पी एल प्रमाण पत्र (54 मामले), लाभार्थियों की स्व-घोषित पारिवारिक आय ₹ 4,000 से अधिक (99 मामले), वयस्क पुत्रों/पुत्रियों की आय को सम्मिलित न करना (09 मामले), पति के मृत्यु प्रमाण पत्र का अभाव (05 मामले), 60 वर्ष की आवश्यक आयु प्राप्त न करना (03 मामले), अन्य लोगों के बैंक खाते को प्रस्तुत करना (02 मामले), सभी स्रोतों से परिवार के मासिक आय प्रमाण पत्र का अभाव (132 मामले), लाभार्थियों के पति के नाम में भिन्नता (02 मामले), आवश्यक दस्तावेजों¹⁶ का अभाव (214 मामले) सम्मिलित थे। अतः, दस्तावेज़ीकरण के योग्यता मानदण्ड को पूर्ण न करने के बावजूद इन लाभार्थियों को पेंशन का लाभ प्रदान किया गया था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि विभाग ने एक मॉड्यूल विकसित किया है और एस एस पी पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है जिसमें आवेदक आवेदन करेगा और दस्तावेजों को सीधे ऑनलाइन अपलोड करेगा। इस नए मॉड्यूल में सत्यापन करने वाले सभी अधिकारी पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करेंगे। उमंग टीम के सहयोग से मोबाइल ऐप भी प्रगति पर है।

2.1.5.4 सहायक दस्तावेजों का डिजिटल प्रारूप में रखरखाव न किया जाना

राज्य सरकार ने पेंशन के संवितरण के लिए पात्र लाभार्थियों के संलग्न दस्तावेजों को बी एम एस में स्कैन और अपलोड करने के लिए निर्देश (मई 2016) जारी किए। आदेश के पीछे का उद्देश्य लाभार्थियों की पात्रता के साक्ष्यों को डिजिटल रूप से बनाए रखना था।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया (नवंबर 2020) कि लाभार्थियों के विवरण की ऑनलाइन प्रविष्टि के दौरान पेंशन पोर्टल में आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं किए जा रहे थे। यदि आवश्यक हुआ, तो जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करने से विभाग को भविष्य में सत्यापन के लिए स्थायी साक्ष्य मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बड़ी संख्या में आवेदनों के कारण आवेदन प्रपत्रों और दस्तावेजों की हार्ड कॉपी गुम होने और खोजने में मुश्किल होने के दृष्टांत थे, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए लाभार्थियों के सहायक दस्तावेजों को प्रदान करने में विभाग की असमर्थता से स्पष्ट था। विभाग, लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए (नवम्बर 2020 और अप्रैल 2021) 694 लाभार्थियों¹⁷ के आवेदनों/दस्तावेजों के सापेक्ष मात्र 131 लाभार्थियों (19 प्रतिशत) के सहायक दस्तावेजों को ही उपलब्ध करा सका।

¹⁵ डी एस डब्ल्यू ओ, देहरादून: 144 प्रकरण, डी एस डब्ल्यू ओ, हरिद्वार: 394 प्रकरण, डी पी ओ, देहरादून: 182 प्रकरण, और डी पी ओ, हरिद्वार: 101 प्रकरण।

¹⁶ परिवार रजिस्टर/राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बी पी एल कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और ग्राम पंचायत के प्रस्ताव।

¹⁷ डी एस डब्ल्यू ओ, देहरादून: (मांग: 330, प्राप्त: 33), डी एस डब्ल्यू ओ, हरिद्वार (मांग: 204, प्राप्त: 03); डी पी ओ, देहरादून: (मांग: 86, प्राप्त: 21) और डी पी ओ, हरिद्वार: (मांग: 74, प्राप्त: 74)।

इसे इंगित किए जाने पर निदेशक, स क वि ने अवगत कराया (नवंबर 2020) कि वर्तमान में पेंशन पोर्टल पर लाभार्थियों के आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने का कोई प्रावधान नहीं था। तथापि, विभाग शासन के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से पोर्टल में इस प्रकार के विकल्प को सक्षम करवा सकता है।

2.1.5.5 सूचना के सरल प्रवाह के लिए व्यावसायिक पुनर्चना प्रक्रिया का अभाव

डी बी टी का उद्देश्य शासकीय प्रक्रियाओं की पुनर्चना कर सूचना और निधियों के सरल प्रवाह के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अतः, डी बी टी गतिविधियों की सफलता का मूल्यांकन, डी बी टी के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मध्यवर्ती प्रशासनिक स्तरों की संख्या में कमी के मानदण्ड के सापेक्ष किया जा सकता है।

चयनित डी एस डब्ल्यू ओ/डी पी ओ के अभिलेखों की जाँच (दिसंबर 2020) के दौरान पाया गया कि डी एस डब्ल्यू ओ/डी पी ओ को प्रपत्र जमा करने से पूर्व लाभार्थियों को अपने आवेदन प्रधान/वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ए एस डब्ल्यू ओ और बी डी ओ/एस डी एम के माध्यम से पारित करवाने थे। डी बी टी के रोलआउट से पूर्व भी यही प्रक्रिया लागू थी। इस प्रकार, शासकीय प्रक्रियाओं की पुनर्चना नहीं की गयी और फलस्वरूप डी बी टी के कार्यान्वयन के बाद मध्यवर्ती प्रशासनिक स्तरों की संख्या में कोई कमी नहीं आई।

डी एस डब्ल्यू ओ/डी पी ओ ने स्वीकार किया (दिसंबर 2020) कि डी बी टी के कार्यान्वयन से पहले और बाद में लाभार्थियों के चयन/अनुमोदन की प्रक्रिया और पेंशन के संवितरण की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। निदेशक, स क वि ने भी स्वीकार (नवंबर 2020) किया कि डी बी टी के कार्यान्वयन के लिए पेंशन योजनाओं में कोई पुनर्चना प्रक्रिया नहीं हुई। इसके परिणामस्वरूप, डी बी टी के प्रमुख उद्देश्यों में से एक सूचना के सरल प्रवाह को प्राप्त नहीं किया जा सका।

2.1.5.6 उत्तराखण्ड आधार अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत डी बी टी योजनाओं को अधिसूचित करने में विफलता

उत्तराखण्ड आधार अधिनियम¹⁸, 2017 की धारा 4 में राज्य सरकार को, इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से तीन महीने के भीतर योजनाओं, सब्सिडी, लाभों या सेवाओं की सूची को अधिसूचित करने की आवश्यकता है जिनके लिए इस तरह के (आधार) प्रमाणीकरण या प्रमाण की आवश्यकता होती है। अधिनियम का उद्देश्य लाभार्थियों को सब्सिडी, लाभों और सेवाओं के कुशल, पारदर्शी और लक्षित वितरण के उद्देश्य को प्राप्त करना था। ये प्रावधान आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अनुरूप थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी 26 सितंबर 2018 को उचित ठहराया गया था।

¹⁸ जनवरी 2018 में अधिसूचित।

डी बी टी प्रकोष्ठ और स क वि के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 221 डी बी टी योजनाओं में से केवल नौ को राज्य आधार अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया था। सभी नौ योजनाएँ पशुपालन विभाग से संबंधित थीं और स क वि की किसी भी योजना को अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित नहीं किया गया था। इस प्रकार, आधार का उपयोग कर लाभार्थियों के प्रमाणीकरण का उद्देश्य, जैसा कि केंद्र/राज्य आधार अधिनियम में परिकल्पित था, विफल हो गया था। आधार अधिनियम के अन्तर्गत योजनाओं को अधिसूचित करने में विफलता के कारण लाभार्थी आधार प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं थे।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि आधार अधिनियम के अन्तर्गत अब तक 113 योजनाओं को अधिसूचित किया जा चुका है और अन्य योजनाओं में कार्य प्रगति पर है।

2.1.5.7 स क वि की लाभार्थी प्रबंधन प्रणाली में अपर्याप्तताएँ

बी एम एस के मूल्यांकन में निम्नलिखित कमियाँ पायी गईं:

- एक आवेदक को पात्रता की आयु प्राप्त करने के बाद ही लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जा सकता है अर्थात् ओ ए पी के मामले में 60 वर्ष और डब्ल्यू पी के मामले में 18 वर्ष। तथापि, पोर्टल पूर्वव्यापी प्रभाव से नामांकित लाभार्थी को पेंशन का भुगतान रोकने में असमर्थ है। इसलिए 2021 में पात्र बनने वाले एक लाभार्थी को पूर्वव्यापी रूप से एक वर्ष या 2011 से भी, जब वह पात्र नहीं था, पेंशन का भुगतान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, नामांकन के समय पात्र एक नामांकित लाभार्थी को भावी तिथियों (2025 तक) से पेंशन के भुगतान के लिए भी निर्धारित किया जा सकता है।
- बी एम एस में बकाया अवधि दर्ज करके पेंशन बकाया की स्वतः गणना करने का कोई विकल्प नहीं है। लाभार्थी के बकाया को उपयोगकर्ता द्वारा मैनुअल रूप से दर्ज किया जाना आवश्यक है और नियत अवधि को ध्यान में रखे बिना कोई भी धनराशि पोर्टल के बकाया फील्ड में दर्ज की जा सकती है।
- एस एस पी पोर्टल/बी एम एस किसी भी 10 अंकों की संख्या को मोबाइल नम्बर के रूप में स्वीकार करता है। डेटाबेस में पेंशनभोगियों के मोबाइल नम्बर दर्ज करने में इस तरह की विसंगति ने एस एस एस की सुविधा के माध्यम से लाभार्थियों को सूचना प्रदान करने के उद्देश्य को विफल कर दिया।
- एस एस पी पोर्टल डुप्लीकेट बी पी एल आई डी के आधार पर लाभार्थी के नामांकन की अनुमति देता है। यह केवल एक पेंशन के भुगतान की आवश्यकता वाले शासनादेश के प्रावधान के विपरीत है।

- एस एस पी पोर्टल में बी पी एल लाभार्थियों के लिए आय प्रमाण पत्र का प्रावधान नहीं है। तथापि, पोर्टल आय फील्ड भरने के बाद ही लाभार्थी के नामांकन को स्वीकार करता है। इसलिए, बी पी एल लाभार्थियों के मामले में, इस तथ्य के बावजूद कि ₹ 4,000 प्रति माह से अधिक आय वाले व्यक्तियों को पेंशन योजनाओं का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है, पंजीकरण की सुविधा के लिए आय के फील्ड में काल्पनिक आँकड़े भरे जाते हैं और ऐसे आँकड़े ₹ 9,99,999 तक हो सकते हैं।
- एस एस पी पोर्टल में लाभार्थी के व्यवसाय का विवरण और आवेदन पत्र जमा करने की तिथि दर्ज करने के लिए फील्ड शामिल हैं। तथापि, ये फील्ड अक्षम रहते हैं और इन फील्ड में स क वि स्तर पर प्रविष्टियाँ नहीं की जा सकती हैं।
- बी एम एस डेटाबेस शुद्ध नहीं था, क्योंकि इसमें अमान्य मोबाइल नम्बर, आय विवरण आदि के रूप में त्रुटिपूर्ण डेटा था। इसके अतिरिक्त, इसमें आधार सीडिंग क्षमता और बैंक खाता सत्यापन नहीं था जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभ सही और योग्य लाभार्थी को प्राप्त हो रहे थे, जैसा कि प्रस्तर 2.1.4.4, 2.1.5.9 से 2.1.5.12 में इंगित किया गया है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, शासन ने अवगत कराया कि विभाग जल्द ही पेंशनभोगियों/आवेदकों के आधार प्रमाणीकरण के लिए यू आई डी ए आई की वेब सेवा का उपयोग करने जा रहा है और तदनुसार बी एम एस में प्रासंगिक जाँच लागू की गई है और यह आने वाले समय में और विसंगतियों की जाँच करेगा।

2.1.5.8 लाभार्थी आधार संख्या का उपयोग

निर्देशों (मई 2016) के अनुसार, प्रत्येक आवेदक पेंशन के लिए आवेदन पत्र के साथ अपने आधार की प्रमाणित प्रति संलग्न करेगा। लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच किए गए जिलों के डेटाबेस में आधार संख्या को गलत तरीके से लिए जाने के मामले पाये गए। दृष्टांतों को नीचे वर्णित किया गया है:

- (अ) 2017-21 की अवधि (जुलाई 2020 तक) के दौरान पूरे राज्य में ओ ए पी और डब्ल्यू पी के 1,12,151 लाभार्थियों के नामांकन के लिए उपयोग किए गए आधार संख्याओं की जाँच वेरहोफ एल्गोरिथम¹⁹ पद्धति के माध्यम से की गई। लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन के दौरान इन आधार संख्याओं में से 2,430 आधार संख्याओं²⁰ (2.17 प्रतिशत) की डेटा प्रविष्टि वैध नहीं पाई गई। यह डेटा एन्ट्री ऑपरेटर द्वारा आधार संख्याओं की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि, विभाग द्वारा आधार संख्याओं का सत्यापन न किए जाने या प्रणाली में गलत आधार संख्याओं को लेने के कारण हो सकती है। उनमें से 33 प्रतिशत (805²¹) नमूना जाँच किए गए जिलों से संबंधित थे।

¹⁹ वेरहोफ एल्गोरिथम डच गणितज्ञ जेकोबस वेरहोफ द्वारा त्रुटि का पता लगाने के लिए एक जाँच योग्य फॉर्मूला विकसित किया गया। इसका उपयोग यू आई डी ए आई द्वारा आधार संख्या को सत्यापित करने के लिए किया जाता है।

²⁰ ओ ए पी: 1,852 प्रकरण एवं डब्ल्यू पी : 578 प्रकरण।

²¹ डी एस डब्ल्यू ओ, देहरादून: 294 प्रकरण, डी एस डब्ल्यू ओ, हरिद्वार: 418 प्रकरण, डी पी ओ, हरिद्वार: 49 प्रकरण एवं डी पी ओ, देहरादून : 44 प्रकरण।

- (ब) चयनित जिलों में लाभार्थियों के विवरण की प्रविष्टि के दौरान दर्ज किए गए आधार संख्याओं के आगे प्रमाणीकरण के लिए, लेखापरीक्षा ने यू आई डी ए आई वेबसाइट <https://resident.uidai.gov.in/verify> पर वेरहोफ एल्गोरिथम के माध्यम से पहले से ही सत्यापित 50 लाभार्थियों सहित रैंडम रूप से चयनित 2,453 आधार संख्याओं²² के सत्यापन में निम्नलिखित परिणाम पाये गए:
- इनमें से 46 आधार संख्याओं²³ को यू आई डी ए आई की वेबसाइट द्वारा त्रुटिपूर्ण घोषित किया गया।
 - 69 मामलों²⁴ में, आधार वेबसाइट में उल्लिखित लिंग को विभाग द्वारा अपने डेटाबेस में दर्ज किए गए लिंग से भिन्न पाया गया।
 - ओ ए पी योजना में 47 मामलों²⁵ में आधार में घोषित आयु, 60 वर्ष की निर्धारित आयु सीमा से कम पाई गई। इसलिए, ये लाभार्थी, ओ ए पी योजना के अंतर्गत लाभ के लिए अपात्र थे।
 - पन्द्रह मामलों²⁶ में, आधार संख्या अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार आदि में रहने वाले लोगों से संबंधित थी, जबकि इन लाभार्थियों को उत्तराखण्ड में पेंशन प्रदान की जा रही थी।

उपरोक्त 177 मामलों के आधार कार्डों की प्रतियाँ उपलब्ध कराने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा अनुरोध किए जाने पर, डी एस डब्ल्यू ओ/डी पी ओ मात्र 51 आधार कार्डों (29 प्रतिशत) की प्रतियाँ ही प्रस्तुत कर सके, आगे जिन्हें यू आई डी ए आई की वेबसाइट से सत्यापित किया गया और यह पाया गया कि चार आधार संख्यायें त्रुटिपूर्ण थीं जबकि उनमें से अवशेष बी एम एस में गलत दर्ज की गई थीं। चार त्रुटिपूर्ण आधार संख्याओं में से, दो आधार संख्याओं की प्रतियों पर 'Government of Indiya' अंकित था। इसने निःसंदेह सिद्ध कर दिया कि पेंशन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए फर्जी आधार कार्ड/संख्याओं का उपयोग किया जा रहा था।

निदेशक, स क वि ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि एस एस पी पोर्टल पर आधार के सत्यापन के लिए कोई सुविधा नहीं थी। यह भी अवगत कराया गया कि डेटा की प्रविष्टि गलत हो सकती है और जिला कार्यालयों को मामले की विस्तार से जाँच करने और सुधारात्मक उपाय करने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

²² डी एस डब्ल्यू ओ, देहरादून: 972 प्रकरण, डी एस डब्ल्यू ओ, हरिद्वार: 500 प्रकरण, डी पी ओ, देहरादून: 421 प्रकरण और डी पी ओ, हरिद्वार: 560 प्रकरण।

²³ डी एस डब्ल्यू ओ, देहरादून: 27 प्रकरण और डी एस डब्ल्यू ओ, हरिद्वार: 19 प्रकरण।

²⁴ डी एस डब्ल्यू ओ, देहरादून: 55 प्रकरण, डी एस डब्ल्यू ओ, हरिद्वार: 12 प्रकरण और डी पी ओ हरिद्वार: 02 प्रकरण।

²⁵ डी एस डब्ल्यू ओ, देहरादून: 11 प्रकरण और डी एस डब्ल्यू ओ, हरिद्वार: 36 प्रकरण।

²⁶ डी एस डब्ल्यू ओ, देहरादून: 04 प्रकरण, डी एस डब्ल्यू ओ, हरिद्वार: 04 प्रकरण और डी पी ओ, हरिद्वार: 07 प्रकरण।

विभाग सम्भावित त्रुटियों को दूर करने हेतु सम्यक सावधानी न बरतने के लिए संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित कर सकता है।

2.1.5.9 एक ही आधार संख्या पर एक से अधिक पेंशन

भारत सरकार ने जैम ट्रिनिटी (जन-धन बैंक खाते, आधार और मोबाइल) की पहचान लीक-प्रूफ, अच्छी तरह से लक्षित, कैशलेस और समयबद्ध तरीके से लाभों को हस्तांतरित करने के लिए मुख्य प्रवर्तक के रूप में की है। राज्य सरकार का आदेश (जून 2016) एक पात्र लाभार्थी को केवल एकल पेंशन की अनुमति देता है। इसलिए, एक विशेष युगल आधार-बैंक खाते के अन्तर्गत केवल एक व्यक्ति को लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

ओ ए पी एवं डब्ल्यू पी के 6.21 लाख लाभार्थियों के डेटाबेस के विश्लेषण के दौरान यह पाया गया (दिसंबर 2020) कि 17 पेंशनभोगियों को 13 आधार संख्याओं के आधार पर 26 पेंशन के माध्यम से ₹ 3.48 लाख की धनराशि (परिशिष्ट-2.1.3) स्वीकृत की गई थी, जो लाभार्थियों को एक से अधिक पेंशनों को दर्शाती है जैसा कि नीचे तालिका-2.1.1 में वर्णित है।

तालिका-2.1.1: लाभार्थियों को एक से अधिक पेंशनों को दर्शाने वाली आधार संख्याएँ

व्यक्तियों की संख्या	आधार संख्या	पेंशनों की संख्या	पेंशन योजना का प्रकार	टिप्पणियाँ
09	09	18	ओ ए पी, डब्ल्यू पी एवं किसान	प्रत्येक व्यक्ति दोहरी पेंशन से जुड़ा हुआ है जिससे लाभ का रिसाव हो रहा है।
08	04	08		प्रत्येक आधार को दोहरी पेंशन से जोड़ा गया है जिससे लाभार्थियों की पहचान और लक्ष्यीकरण संदिग्ध है।

स्रोत: स क वि के आई टी प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा से निष्कर्षित।

इसलिए एस एस पी पोर्टल विभाग के मौजूदा डेटाबेस में आधार संख्या के आधार पर दोहरेपन का पता लगाने में सक्षम नहीं था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस मुद्दे को इंगित किए जाने के बाद, स क वि ने 1 अप्रैल 2021 को एक से अधिक पेंशन पाने वाले 10 पेंशनभोगियों को अवरुद्ध कर दिया।

2.1.5.10 एक ही बैंक खाता संख्या पर एक से अधिक पेंशन

लाभार्थी का बैंक खाता न केवल डी बी टी के अन्तर्गत लाभ की सुविधा प्रदान करता है बल्कि यह लाभार्थियों की पहचान का एक महत्वपूर्ण उपकरण भी है। ओ ए पी एवं डब्ल्यू पी के 6.21 लाख लाभार्थियों के डेटाबेस के विश्लेषण (जनवरी 2021) में पाया गया कि पूरे राज्य में 50 लाभार्थियों (परिशिष्ट-2.1.4) ने 38 बैंक खाता संख्याओं में 76 पेंशनों के माध्यम से ₹ 26.92 लाख की पेंशन का लाभ उठाया था, जैसा कि नीचे तालिका-2.1.2 में वर्णित है।

तालिका-2.1.2: एक ही बैंक खाता संख्या पर एक से अधिक पेंशन

लाभार्थियों की संख्या	बैंक खाता संख्या	पेंशनों की संख्या	पेंशन योजना का प्रकार	टिप्पणियाँ
26	26	52	ओ ए पी, डब्ल्यू पी एवं किसान	प्रत्येक व्यक्ति दोहरी पेंशन से जुड़ा हुआ है जिससे लाभ का रिसाव हो रहा है।
24	12	24		प्रत्येक बैंक खाता दोहरी पेंशन से जोड़ा गया है जिससे लाभार्थियों की पहचान और लक्ष्यीकरण संदिग्ध है।

स्रोत: स क वि के आई टी प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा से निष्कर्षित।

चयनित जिलों में स्थलीय सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि दो लाभार्थियों में से दोनों को एक से अधिक योजनाओं (ओ ए पी के साथ-साथ किसान पेंशन योजना और डब्ल्यू पी के साथ-साथ किसान पेंशन योजना) के अन्तर्गत दोहरा लाभ मिल रहा था, जो कि जून 2016 के मौजूदा शासनादेश के अनुसार अनुमन्य नहीं है।

इसके विपरीत, लेखापरीक्षा ने चार मामलों (देहरादून में दो और हरिद्वार में दो) में पाया कि पात्र लाभार्थियों की ₹ 1.21 लाख पेंशन का भुगतान अन्य लोगों के बैंक खातों में किया गया था।

2.1.5.11 एक ही बी पी एल आई डी पर एक से अधिक पेंशन

शासनादेश (जून 2016) में प्रावधान कि बी पी एल के व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जिनकी सभी स्रोतों से मासिक आय ₹ 4000 प्रति माह से अधिक नहीं है, वह ओ ए पी या डब्ल्यू पी (जैसा भी मामले हो) के लिए पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रावधान है कि एक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति (पति या पत्नी) ओ ए पी और डब्ल्यू पी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होगा।

चयनित जिलों के 2.04 लाख लाभार्थियों के डेटा विश्लेषण में पाया (दिसंबर 2020) गया कि 49 लाभार्थियों²⁷ (परिशिष्ट-2.1.5) ने 23 बी पी एल आई डी के आधार पर ₹ 14.49 लाख की धनराशि आहरित कर ओ ए पी और डब्ल्यू पी का लाभ उठाया था। लेखापरीक्षा ने चयनित जिलों के सभी 49 लाभार्थियों को सत्यापित किया गया और पाया कि नौ बी पी एल आई डी (परिशिष्ट-2.1.5 के क्रम संख्या 1 से 3, 24 से 26 और 45 से 47) को तीन पेंशनों के साथ जोड़ा गया था और शेष 40 बी पी एल आई डी को दोहरी पेंशन के साथ जोड़ा गया था जिससे लाभों का रिसाव हुआ।

निदेशक, स क वि ने (मार्च 2021) एस एस पी पोर्टल में सत्यापन सुविधा/जाँच की कमी को इस तरह के दृष्टांतों के लिए उत्तरदायी ठहराया और सुधारात्मक उपायों के लिए आश्वासन दिया।

2.1.5.12 दोहरी पेंशन का भुगतान

ओ ए पी एवं डब्ल्यू पी के 6.21 लाख लाभार्थियों के डेटाबेस के विश्लेषण (दिसंबर 2020) में पाया गया कि पूरे राज्य में 16 लाभार्थियों (परिशिष्ट-2.1.6) ने ₹ 6.70 लाख की दोहरी पेंशन आहरित की

²⁷ डी एस डब्ल्यू ओ, देहरादून: 22 प्रकरण, डी एस डब्ल्यू ओ, हरिद्वार: 05 प्रकरण, डी पी ओ, देहरादून: 20 प्रकरण और डी पी ओ, हरिद्वार: 02 प्रकरण।

थी और नमूना जाँच किए गए जिलों में ऐसे दो मामले देखे गए थे (दिसंबर 2020)। लेखापरीक्षा ने इन दोनों मामलों की पुष्टि की और पाया कि हरिद्वार जिले में एक लाभार्थी को दो अलग-अलग बैंक खाता संख्याओं में विधवा पेंशन मिल रही थी (जैसा कि **परिशिष्ट-2.1.6** में क्रम संख्या 23 और 24 में उल्लिखित है)।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर डी पी ओ, हरिद्वार ने तथ्यों को स्वीकार किया (दिसंबर 2020) और लाभार्थी से ₹ 17,800 की धनराशि वसूल की गई (दिसंबर 2020)। निदेशक, स क वि ने अवगत (मार्च 2021) कराया कि यह विभिन्न समय पर पेंशन के लिए एक से अधिक आवेदनों के प्राप्त होने के कारण था और आश्वासन दिया कि इसके लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाई की जाएगी।

डी एस डब्ल्यू ओ, देहरादून (दो मामले) और डी पी ओ, हरिद्वार (एक मामला) में अभिलेखों की ऑफलाइन जाँच के दौरान दोहरी पेंशन के तीन मामले देखे गए। तथापि, लाभार्थियों ने प्राप्त अतिरिक्त धनराशि (₹ 45,000) को वापस कर दिया था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, **प्रस्तर 2.1.5.8 से 2.1.5.12** के संबंध में शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए स क वि के आई टी प्रकोष्ठ को पोर्टेड लीगेसी डेटाबेस के साथ बार-बार डि-डुप्लिकेशन अभ्यास करने के निर्देश दिये।

2.1.5.13 पेंशन के भुगतान में विलम्ब

भुगतान में तेजी लाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाकर लोगों को लाभों का बेहतर और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए डी बी टी को लागू किया गया है। स क वि द्वारा जारी आदेश (मार्च 2011) के अनुसार लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान प्रत्येक तिमाही माह के अंत तक चार किस्तों में किया जाना चाहिए अर्थात् पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त का भुगतान क्रमशः जून, सितंबर, दिसंबर और फरवरी के अंत तक किया जाना चाहिए। तथापि, डी बी टी के माध्यम से निधि अंतरण में अनुचित विलम्ब को रोकने के लिए राज्य डी बी टी प्रकोष्ठ द्वारा भुगतान के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। यह इस तथ्य के बावजूद था कि भा स ने इस सम्बन्ध में विशिष्ट समय-सीमा अधिसूचित की थी। विभागों ने भुगतान के लिए अपनी स्वयं की समय-सीमा का पालन किया और विभागों में कोई समान समय-सीमा नहीं थी। इस प्रकार, समय पर भुगतान का उद्देश्य विफल रहा।

डेटा के विश्लेषण (नवंबर 2020) में पाया गया कि 2017-21 के दौरान (जुलाई 2020 तक) 1,334 लाभार्थियों को ₹ 43.63 लाख की धनराशि के पेंशन का भुगतान बिना विलम्ब के किया गया और शेष 5,96,539 लाभार्थियों को ₹ 2,080.51 करोड़ (भुगतान की गई कुल पेंशन का 99.98 प्रतिशत) का भुगतान 283 दिनों तक के विलंब से किया गया था। चयनित जिलों में मात्र 86 लाभार्थियों को ₹ 2.58 लाख पेंशन का भुगतान बिना विलम्ब के किया गया था और शेष

2,02,116 लाभार्थियों को ₹ 699.24 करोड़ (भुगतान की गई कुल पेंशन का 99.99 प्रतिशत) की पेंशन का भुगतान 272 दिनों तक के विलम्ब के साथ किया गया था। विलम्ब प्रत्येक स्तर पर था अर्थात् आहरण एवं संवितरण अधिकारी से वास्तविक भुगतान (283 दिनों तक) एवं कोषाधिकारी स्तर से लाभार्थियों को वास्तविक भुगतान (279 दिनों तक) जैसा कि **परिशिष्ट-2.1.7 अ एवं ब** में वर्णित है। इस तरह के विलम्ब ने योग्य और सूचीबद्ध नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान करने के उद्देश्य को विफल कर दिया।

उपरोक्त के इंगित किए जाने पर, निदेशक, स क वि ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (मार्च 2021) और अवगत कराया कि विलम्ब कार्य की अधिकता और बजट उपलब्धता में विलम्ब के कारण हुआ था।

2.1.5.14 लाभार्थियों को पेंशन का अधिक भुगतान

मई 2016 से दिसंबर 2019 तक की अवधि के दौरान लाभार्थी को देय पेंशन की धनराशि ₹ 1,000 प्रति माह थी और तत्पश्चात इसे संशोधित कर ₹ 1,200 कर दिया गया था।

यह जाँचने के लिए कि क्या लाभार्थियों को पेंशन की सही धनराशि का भुगतान किया गया था, लेखापरीक्षा ने उन लाभार्थियों के संदर्भ में डेटाबेस का विश्लेषण किया, जिनकी पेंशन प्रारम्भ की तिथि लेखापरीक्षा अवधि में थी। यह पाया गया (दिसंबर 2020) कि चयनित जिलों में 2,722 लाभार्थियों को ₹ 85.85 लाख का अधिक भुगतान किया गया था, जबकि 2017-21 की अवधि (जुलाई 2020 तक) के दौरान राज्य के लिए अधिक धनराशि ₹ 201.85 लाख थी। लेखापरीक्षा द्वारा अधिक भुगतान का निर्धारण त्रैमासिक पात्रताओं के आधार पर किया गया था, जिसमें भा स द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों को प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदान किया गया एक विशेष पैकेज) के अन्तर्गत दी गई अतिरिक्त मुआवजा धनराशि सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, निदेशक, स क वि ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के अनुसार लाभार्थियों को ₹ 1,000 प्रति पेंशनभोगी दिये गए थे और शेष अतिरिक्त भुगतान मैनुअल गणना और बकाया धनराशि के प्रविष्टि के कारण हो सकता है। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा अधिक भुगतान की गणना प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए ₹ 1,000 के समायोजन के बाद की गई थी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक पेंशनभोगी के लिए पात्र धनराशि की गणना पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि के आधार पर की गई थी और इसलिए, किसी भी अन्य बकाया धनराशि का कोई प्रश्न ही नहीं था।

2.1.5.15 लाभार्थियों को पेंशन का कम भुगतान

प्रस्तर 2.1.5.14 में चर्चा की गई पद्धति का पालन करते हुए यह पाया गया (दिसम्बर 2020) कि 2017-21 (जुलाई 2020 तक) के दौरान 6,062 लाभार्थियों को ₹ 1,658.92 लाख की पात्र धनराशि के

सापेक्ष ₹ 1,407.46 लाख की पेंशन का भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, ओ ए पी और डब्ल्यू पी योजनाओं के अन्तर्गत इन 6,062 लाभार्थियों को ₹ 251.46 लाख का कम भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा पूरे राज्य के लिए 26,155 लाभार्थियों को ₹ 722.44 लाख की पेंशन के कम भुगतान की गणना की गई थी।

इंगित किए जाने पर निदेशक, स क वि ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि जिन लाभार्थियों ने आधार संख्या उपलब्ध नहीं करायी थी उन्हें पेंशन का वितरण रोक दिया गया था और आधार संख्या प्रस्तुत करने के बाद इसे फिर से प्रारम्भ कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, अंतराल अवधि में कोई पेंशन नहीं दी गई जिसके कारण पेंशन का कम भुगतान हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा की तिथि तक राज्य सरकार द्वारा स क वि की योजनाओं को आधार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित नहीं किया गया था। आधार सत्यापन के बिना आई एफ एम एस तथा कई योजनाओं के अधिसूचित न किए जाने के परिणामस्वरूप लाभार्थियों की पहचान उचित प्रकार से सुनिश्चित किए बिना लाभ का हस्तांतरण हुआ।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान **प्रस्तर 2.1.5.13 से 2.1.5.15** के संबंध में शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए स क वि को पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयास करने और बकाया की स्वचालित गणना को सक्षम बनाने हेतु पोर्टल में उचित चेक लगाने के निर्देश दिए ताकि अधिक और कम भुगतान को रोका जा सके।

2.1.5.16 मृत व्यक्तियों को पेंशन

शासनादेश (जून 2016) में लाभार्थी के जीवित होने का पता लगाने के लिए प्रत्येक वर्ष दो बार लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन का प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त, एन एस ए पी दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 3.6.3 (vii) के अनुसार ग्राम पंचायतों/नगरपालिकाओं को लाभार्थियों की मृत्यु के प्रत्येक मामलों की सूचना नामित संस्वीकृति प्राधिकारी को देना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में पाया गया (दिसंबर 2020) कि चयनित जिलों के डी एस डब्ल्यू ओ/डी पी ओ द्वारा लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष दो बार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा लाभार्थियों की मृत्यु की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी और लाभार्थियों के संबंध में जीवन प्रमाण-पत्र भी प्रत्येक वर्ष प्राप्त नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, 2017-21 (जुलाई 2020 तक) की अवधि के दौरान, 4,298 लाभार्थियों को उनकी मृत्यु के बाद भी उनके बैंक खातों में पेंशन जमा की गई थी। इन मृत लाभार्थियों में से 398 लाभार्थियों से ₹ 29.61 लाख की धनराशि बाद में वसूल की गई थी परन्तु 410 लाभार्थियों से ₹ 29.89 लाख की वसूली नहीं की जा सकी। लेखापरीक्षा द्वारा शेष 3,490 मृत लाभार्थियों को भुगतान की गई धनराशि की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि ए एस डब्ल्यू ओ/मृत लाभार्थियों के रिश्तेदारों ने मृत्यु की तिथि का उल्लेख नहीं किया था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर शासन द्वारा सुधारात्मक कार्यवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, शासन ने अवगत कराया कि विभाग भारत के महापंजीयक/स्थानीय निकायों/अस्पतालों/शमशान घाट/ई-सेवाओं आदि की वेब सेवाओं के साथ एकीकृत करने की योजना भी बना रहा है।

2.1.5.17 भौतिक सत्यापन/मतदाता सूची के साथ परस्पर सत्यापन के परिणाम

राज्य सरकार ने (जून 2016) निर्देश जारी किए कि एक परिवार में पति या पत्नी में से किसी एक को केवल एक ही पेंशन दी जाएगी और महिला सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी। हरिद्वार जिले के लकसर ब्लॉक के सुल्तानपुर गाँव में संयुक्त भौतिक सत्यापन (नवंबर 2021) के साथ-साथ मतदाता सूची के माध्यम से लाभार्थियों के सत्यापन से पता चला कि 2012 से 2020 के दौरान 172 दंपतियों (344 पेंशनभोगी) को ओ ए पी प्रदान की गई थी और जुलाई 2020 तक इन दंपतियों को पेंशन का लगातार भुगतान किया गया था, जैसा कि नीचे दी गई तालिका-2.1.3 में वर्णित है।

तालिका-2.1.3: दंपतियों को पेंशन भुगतान का विवरण

निरीक्षण किए गए गाँव का नाम	गाँव में कुल लाभार्थियों की संख्या	भौतिक सत्यापन के अनुसार दंपतियों को दी गई पेंशन	मतदाता सूची के अनुसार दंपतियों को दी गई पेंशन	अपान पुरुष पेंशनभोगी	
				पुरुष	भुगतान (₹ लाख में)
सुल्तानपुर	1,749	77 (154 पेंशनभोगी)	95 (190 पेंशनभोगी)	172	110.38

यद्यपि, लेखापरीक्षा द्वारा ऐसे मामलों को मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए पूर्व की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पहले ही उजागर किया गया था, तथापि ऐसे मामलों की घटना को रोकने के लिए विभाग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाई नहीं की गई थी।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए सूचित किया कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में वृद्धावस्था पेंशन के लिए दोनों (पति एवं पत्नी) को अनुमति प्रदान कर दी गई है।

2.1.6 निष्कर्ष

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रकोष्ठ ने राज्य स्तर पर कार्यान्वित की जा रही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लागू योजनाओं और कार्यक्रमों का विश्लेषण और पहचान नहीं की गई। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विभिन्न योजनाओं में डी बी टी के कार्यान्वयन की प्रगति स्थिर रही। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण अधिदेश को पूर्ण करने के लिए राज्य में कोई सार्वभौमिक लाभार्थी डेटाबेस उपलब्ध नहीं था। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में आधार तथा बैंक खाते के सत्यापन की व्यवस्था नहीं थी। लाभार्थी प्रबंधन प्रणाली, आधार और बैंक खाता संख्या के सत्यापन/प्रमाणीकरण में कमी, लाभार्थियों की गलत प्रविष्टियों और पेंशन बकाये की गणना के लिए कोई विकल्प नहीं होने जैसी कार्यात्मक अक्षमताओं के साथ चल रहा था। चूंकि योजनाओं को अभी तक आधार अधिनियम में अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए सत्यापन किया जाना चाहिए अन्यथा डेटाबेस की शुद्धता करना मुश्किल हो जाएगा और संभावित रिसाव बिना सुधार के बने रहेंगे। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रकोष्ठ द्वारा कोई शिकायत निवारण तंत्र विकसित नहीं किया गया था।

लाभार्थी प्रबंधन प्रणाली की अक्षमताओं के परिणामस्वरूप पेंशन योजनाओं में और उनके मध्य, दोनों में, एक से अधिक पेंशनभोगियों के विद्यमान होने के दृष्टांत मौजूद हैं। पेंशन के भुगतान में विलंब, मृत व्यक्तियों को पेंशन और पेंशन के अधिक/कम भुगतान आदि के दृष्टांत थे। अपात्र जनसंख्या, जो पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती थी, को गलत तरीके से पेंशन योजनाओं में सम्मिलित किया गया था और इसके लिए योजना के डिजाइन की कमियों, कमजोर प्रक्रिया नियंत्रण और त्रुटिपूर्ण प्रक्रियाओं को उत्तरदायी ठहराया जा सकता था। लाभार्थियों की पहचान के लिए सर्वेक्षण की कमी और आवेदन प्रपत्रों के उचित सत्यापन का भी अभाव था। इसके परिणामस्वरूप, पति और पत्नी दोनों लगातार वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे थे।

2.1.7 अनुशंसाएं

- 1) गैर-प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड में, योजनाओं के परिवर्तन की प्रगति का बारीकी से मूल्यांकन और अनुश्रवण किए जाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लाभों को और अधिक सरकारी योजनाओं में प्राप्त किया जा सके।
- 2) प्रयासों के दोहराव को समाप्त करने और व्यक्तियों को प्राप्त होने वाली सब्सिडी को सकल रूप से सक्षम बनाने के लिए विभिन्न विभागों में व्याप्त लाभार्थियों का एक सार्वभौमिक डेटाबेस बनाया जा सकता है। इस तरह के डेटाबेस को आधार प्रमाणीकरण और आवधिक बैंक खाता सत्यापन सुविधाओं हेतु निरपवाद रूप से सक्षम होना चाहिए।
- 3) डेटा को शुद्ध करने के लिए आधार, बैंक खाता विवरण तथा मोबाइल नम्बरों का आवधिक सत्यापन/प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए।
- 4) मृत लाभार्थियों की पेंशन को समय से रोकने हेतु लाभार्थी प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस को मृत्यु पंजीकरण प्राधिकरणों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।
- 5) सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल को मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना प्रत्येक तिमाही के अंत में पेंशन देयकों को स्वचालित रूप से आगे बढ़ाने के लिए संशोधित किया जा सकता है। इस तरह के स्वचालन को एकल आहरण एवं संवितरण कोड के माध्यम से विभाग स्तर पर केंद्रीकृत रूप से पेंशन को संसाधित करने में सक्षम किया जा सकता है।
- 6) सामाजिक लाभ प्रदान करने के लिए विभागों को आधार की आवश्यकता और उसे प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु, सभी विभागों की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं को आधार अधिनियम के अन्तर्गत अविलम्ब अधिसूचित किया जा सकता है।
- 7) मध्यवर्ती प्रशासनिक स्तरों को कम करने के लिए पेंशन स्वीकृति और भुगतान की प्रक्रिया की पुनर्रचना की जा सकती है।

- 8) लाभार्थियों की प्रतिक्रिया, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के साथ उनके अनुभव और उनकी शिकायतों को प्रणाली में सम्मिलित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रकोष्ठ द्वारा शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की जा सकती है।

वन विभाग

2.2 वनाग्नि प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग/जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम के प्रभावी उपयोग पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

2.2.1 परिचय

उत्तराखण्ड का भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है जिसमें से 71 प्रतिशत वन क्षेत्र है। बड़ा वन क्षेत्र होने के कारण उत्तराखण्ड में वनाग्नि संभावित है। राज्य में आम तौर पर 15 फरवरी से 15 जून तक (अग्नि काल) आग लगने की गतिविधियां होती हैं, जिसमें से मई व जून के दौरान आग लगने की घटनाएं चरम पर होती हैं। वनाग्नि उत्तराखण्ड की बड़ी आपदाओं में से एक है। 2018-20 के दौरान वनाग्नि से प्रभावित कुल क्षेत्रफल 7,634.28 हेक्टेयर (हे) था और उससे ₹ 146.55 लाख की क्षति हुई। वनाग्नि के कारण बहुत सी स्थानिक व संकटग्रस्त वनस्पतियों व जीव प्रजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उत्तराखण्ड में वनाग्नि मौसम, भौगोलिक स्थिति, ईंधन व आबादी जैसे कारकों के संयोजन के कारण होती है (कारक परिशिष्ट-2.2.1 में वर्णित हैं)।

2.2.2 वनाग्नि प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग/जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम की भूमिका

रिमोट सेंसिंग, उपकरणों में लगे सेंसर और जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जी आई एस) के उपयोग द्वारा दूर से एक क्षेत्र की भौतिक विशिष्टियों को पता लगाने व मापने की एक प्रक्रिया है। जी आई एस सभी प्रकार के स्थानिक और भौगोलिक आँकड़ों को प्राप्त करने, संग्रहित करने और प्रदर्शित करने के लिए कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और सेंसर को संदर्भित करता है। वनाग्नि के संदर्भ में, रिमोट सेंसिंग/जी आई एस का उपयोग वनाग्नि प्रबंधन के तीनों चरणों अर्थात् अग्नि काल से पूर्व, अग्नि काल के दौरान और अग्नि काल के बाद के लिए किया जा सकता है। रिमोट सेंसिंग/जी आई एस का चरणबद्ध उपयोग नीचे तालिका-2.2.1 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.2.1: रिमोट सेंसिंग/जी आई एस का चरणबद्ध उपयोग

वनाग्नि के चरण	प्रत्येक चरण में रिमोट सेंसिंग/जी आई एस की भूमिका	वर्तमान व्यवस्था
अग्नि काल से पूर्व	जी आई एस का उपयोग कर अग्नि जोखिम क्षेत्रीकरण (अग्नि जोखिम क्षेत्रीकरण वनाग्नि के लिए संवेदनशील वन क्षेत्रों के चिन्हीकरण में उपयोग में आता है। यह संसाधनों के आवंटन और	अग्नि संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्रण : नियोजन के लिए सम्पूर्ण राज्य के विगत 10 वर्षों के वनाग्नि स्थलों के आँकड़ों को अग्नि संभावित क्षेत्रों के चिन्हीकरण के लिए उपयोग में लाया जाता है। विगत वनाग्नि स्थलों को जी आई एस लेयर में अपलोड किया गया था तथा अत्यधिक संवेदनशील अग्नि संभावित क्षेत्रों की पहचान ज़िलेवार एवं तहसीलवार की गयी थी।

वनाग्नि के चरण	प्रत्येक चरण में रिमोट सेंसिंग/जी आई एस की भूमिका	वर्तमान व्यवस्था
	प्रबंधन हस्तक्षेपों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के चिन्हीकरण हेतु एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है।)	वन विभाग ने भारतीय वन सर्वेक्षण (एफ एस आई) और उत्तराखण्ड के मुख्य वन संरक्षक (सी सी एफ) (सतर्कता) से विगत 10 वर्षों (2005-15) की अग्नि घटनाओं के आँकड़ों का उपयोग करते हुए सभी प्रभागों के लिए अग्नि संवेदनशील मानचित्र तैयार किया है।
अग्नि काल के दौरान	<ul style="list-style-type: none"> रिमोट सेंसिंग के द्वारा वनाग्नि का पता लगाना। जी आई एस का उपयोग कर सैटेलाइट डेटा का प्रसंस्करण और अग्नि अलर्ट उत्पन्न करना। 	राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र ²⁸ (एन आर एस सी) इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अग्नि हॉटस्पॉट के आँकड़ों को एफ एस आई को प्रेषित करता है। इन आँकड़ों को जी आई एस सॉफ्टवेयर के उपयोग से एफ एस आई द्वारा स्वतः संसाधित ²⁹ किया जाता है। फिर अलर्ट उत्पन्न किए जाते हैं और एस एम एस के माध्यम से पंजीकृत अंतिम उपभोगताओं को प्रसारित किए जाते हैं।
अग्नि काल के बाद	रिमोट सेंसिंग द्वारा जले हुए क्षेत्रों का आकलन।	रिमोट सेंसिंग के आँकड़ों का उपयोग मौजूदा तरीकों के अलावा जले हुए क्षेत्र का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। वर्तमान में सरकारी संस्थायें जैसे उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केंद्र ³⁰ (यूसैक) और भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (आई आई आर एस) वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का आकलन स्वतंत्र रूप कर रहे हैं।

2.2.3 वन विभाग के कार्य एवं भूमिका

राज्य वन विभाग वनों का संरक्षक है और आग की रोकथाम और शमन सहित वन संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। मुख्यालय में मुख्य वन संरक्षक, वनाग्नि और आपदा प्रबंधन (सी सी एफ-एफ एफ डी एम), प्रधान मुख्य वन संरक्षक-वन फोर्स के प्रमुख (पी सी सी एफ-एच ओ एफ एफ) के अधीन वनाग्नि सम्बन्धी जिम्मेदारियों के लिए उत्तरदायी हैं। प्रभाग स्तर पर प्रभागीय वनाधिकारी (डी एफ ओ) अपने संबंधित प्रभाग की “अग्नि कार्य योजना” को तैयार करते हैं और फिर सी सी एफ एफ एफ डी एम को प्रस्तुत करते हैं, जो इन्हें “राज्य संकट प्रबंधन योजना” बनाने के लिए संकलित करता है। रिमोट सेंसिंग और जी आई एस से संबंधित तकनीकी सहयोग, सूचना तकनीकी और भू-सूचना विज्ञान केंद्र (आई टी जी सी) द्वारा प्रदान किया जाता है जो विभाग के मुख्यालय देहरादून में स्थित है।

²⁸ एम ओ डी आई एस (मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर) नासा के टेरा और एक्वा उपग्रहों पर लगा एक सेंसर है जिसका उपयोग दैनिक आधार पर अग्नि के लिए पृथ्वी की सतह को स्कैन करने के लिए किया जाता है। 2012 से, सुओमी एन पी पी (नेशनल पोलर ऑर्बिटिंग पार्टनरशिप) सैटेलाइट के बोर्ड पर विज़िबल इन्फ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट (वी आई आई आर एस) ने पृथ्वी की सतह की उच्च रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग उत्पन्न करके इस प्रयास में योगदान दिया है। एम ओ डी आई एस के थर्मल बैंड में प्रति पिक्सेल 1,000 मीटर रिज़ॉल्यूशन है जबकि वी आई आई आर एस में 375 मीटर प्रति पिक्सेल रिज़ॉल्यूशन है। यह उच्च रिज़ॉल्यूशन वी आई आई आर एस को उन अग्नियों का पता लगाने में सक्षम बनाता है जिन्हें एम ओ डी आई एस अनदेखा कर देता है।

²⁹ डेटा प्रसंस्करण में एक कस्टम फिल्टर का उपयोग करके वनाग्नि के अलावा सभी अग्नि हॉटस्पॉट की फिल्टरिंग और अग्नि स्थानों में जिला, वृत्त, प्रभाग, रेंज आदि जैसी विशेषताओं को जोड़ना सम्मिलित है।

³⁰ यूसैक अन्तरिक्ष तकनीक सम्बन्धी गतिविधियों के लिए उत्तराखण्ड राज्य में नोडल एजेंसी है और इसको राज्य और इसके लोगों के लाभ के लिए अन्तरिक्ष तकनीक को नियोजित करने का अधिदेश हैं।

2.2.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या विभाग ने वनाग्नि प्रबंधन के सभी तीन चरणों के दौरान रिमोट सेंसिंग/जी आई एस का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया था।

2.2.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किये गए हैं जैसे:

1. वनाग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना, 2018।
2. लेखापरीक्षा के लिए चयनित प्रभागों की अग्नि योजना।
3. वनाग्नि के सम्बन्ध में शासन एवं विभाग द्वारा जारी किये गए निर्देश एवं आदेश।

2.2.6 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली

अनुपालन लेखापरीक्षा कोविड 19 के कारण चरणबद्ध³¹ तरीके से अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक, 2018 से 2020 तक के अग्नि काल को आच्छादित करते हुए संपादित की गयी। सी सी एफ-एफ एफ डी एम कार्यालय; अपर पी सी सी एफ, आयोजना एवं वित्तीय प्रबंधन कार्यालय [ए पी सी सी एफ (पी एवं एफ एम)]; आई टी जी सी के साथ चार प्रभागों³² के अभिलेखों की जाँच की गयी। प्रभागों का चयन, वनाग्नि को लेकर उनकी संवेदनशीलता, एफ एस आई चेतावनी के प्रति कम संवेदनशीलता और वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों को ध्यान में रखकर किया गया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को पूरक करने हेतु एफ एस आई, यूसैक और आई आई आर एस जैसे विशेषज्ञ संस्थानों के साथ भी काम किया।

लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गई है।

2.2.7 संसाधन आवंटन के दौरान अग्नि जोखिम क्षेत्रीकरण को ध्यान में न रखना

वनाग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना के प्रस्तर 3 के अनुसार अग्नि जोखिम क्षेत्रीकरण, प्राथमिकता के क्षेत्रों को चिन्हीकृत करने एवं इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को संसाधन आवंटित करने के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है।

वन विभाग में आई टी जी सी ने वनाग्नि की आवृत्ति और वन का प्रकार आदि जैसे अन्य कारकों के आधार पर समस्त वन बीटों³³ को वनाग्नि के प्रति संवेदनशीलता के संदर्भ में कम संवेदनशील, मध्यम संवेदनशील और अत्यधिक संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया था। तथापि, ए पी सी सी एफ (पी एवं एफ एम)³⁴ एवं चार चयनित प्रभागों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि

³¹ चरण 1: अक्टूबर 2020 से जनवरी 2021; चरण 2: अप्रैल 2021 से जून 2021।

³² 29 क्षेत्रीय प्रभागों में से देहरादून, नरेन्द्र नगर, अल्मोड़ा और बागेश्वर।

³³ बीट, प्रभाग में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है।

³⁴ ए पी सी सी एफ (पी एवं एफ एम) आयोजना और विभिन्न योजनाओं में प्राप्त निधियों को विभाग के समस्त कार्यालयों और प्रभागों को आवंटन के लिए उत्तरदायी है और डी एफ ओ उनके नियंत्रण के रैंज अधिकारी को निधियों के आवंटन के लिए उत्तरदायी है।

आई टी जी सी द्वारा अत्यधिक संवेदनशील वन क्षेत्रों के चिन्हीकरण के बावजूद भी ए पी सी सी एफ (पी एवं एफ एम) द्वारा अग्नि सूचकांक³⁵ के आधार पर निधियों का आवंटन किया जा रहा था। उच्च जोखिम प्रभागों व रेंजों को वनाग्नि प्रबंधन हेतु निधियों के आवंटन के लिए अग्नि जोखिम क्षेत्रीकरण का उपयोग नहीं किया जा रहा था। इस दौरान, विभाग अग्नि सूचकांक एवं अग्नि जोखिम क्षेत्रीकरण के बीच सम्बन्ध प्रदर्शित नहीं कर सका।

लेखापरीक्षा द्वारा प्रभाग/रेंज स्तर पर अग्नि शमन के लिए संसाधन आवंटन में अग्नि जोखिम क्षेत्रीकरण की उपेक्षा को जमीनी स्तर पर भी पाया गया था। अग्नि काल के मध्य (अप्रैल 2020) में किए गए संयुक्त भौतिक निरीक्षण में, लेखापरीक्षा ने अल्मोड़ा एवं बागेश्वर जैसे उच्च संवेदनशील प्रभागों में अग्नि शमन के लिए आवश्यक उपकरणों का अभाव पाया। उदाहरण के लिए, बागेश्वर प्रभाग के पाँच क्रू स्टेशनों³⁶ और अल्मोड़ा प्रभाग के दो क्रू स्टेशनों³⁷ में अग्नि शमन दलों के पास मूलभूत सुरक्षा सुविधाएँ³⁸ एवं टॉर्च जैसे बुनियादी उपकरण नहीं थे। इसके अतिरिक्त, अल्मोड़ा और बागेश्वर प्रभागों द्वारा वर्ष 2017-18 से कोई अग्नि शमन उपकरण व सुरक्षा उपकरण नहीं खरीदे गए थे।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया और अवगत कराया (मार्च 2022) कि भविष्य में, निधियों के आवंटन के समय अग्नि जोखिम क्षेत्रीकरण का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

2.2.8 एफ एस आई की वनाग्नि चेतावनी प्रणाली

सैटेलाइट संकेतकों द्वारा अग्नि हॉटस्पॉट का पता लगाया जाता है और एफ एस आई को अग्रेषित किया जाता है जहाँ उन्हें संसाधित किया जाता है जिसमें समस्त प्रकार की अग्नियों की फिल्टरिंग सम्मिलित है। फिल्टरिंग की प्रक्रिया के दौरान, अग्नि हॉटस्पॉट को वर्गीकृत किया जाता है कि अग्नि वन क्षेत्र में है या गैर-वन क्षेत्र में है। इसके बाद चेतावनी को सृजित कर एफ एस एम एस के माध्यम से पंजीकृत उपभोक्ताओं तक भेजा जाता है। उत्तराखण्ड वन विभाग के अधिकारी जिसमें प्रभाग व रेंज स्तर के अधिकारी भी सम्मिलित हैं, एफ एस आई के साथ पंजीकृत हैं और अग्नि चेतावनियाँ प्राप्त करते हैं।

2.2.8.1 एफ एस आई की अग्नि चेतावनियों पर प्रतिक्रिया

चेतावनी प्राप्त होने के पश्चात, वन विभाग को चेतावनी की स्थलीय सत्यता अर्थात् अग्नि चेतावनी का भौतिक सत्यापन अग्नि घटनास्थल पर जाकर करना होता है। ऐसी स्थलीय सत्यता के परिणामों को फीडबैक के रूप में एफ एस आई को दिया जाना होता है ताकि एफ एस आई को अग्नि का पता

³⁵ वन प्रभागों को ए पी सी सी एफ (पी एवं एफ एम) द्वारा निधियों के आवंटन के लिए 01 से 05 तक का सूचकांक में वर्गीकृत किया गया है जो कि जोनेशन मैपिंग से संबंधित नहीं हैं।

³⁶ धिरोली, रखौली, कांडा, धरमघर एवं छतिना।

³⁷ अल्मोड़ा एवं सोमेश्वर।

³⁸ अग्नि प्रतिरोधी वर्दी व जूते।

लगाने की दक्षता में सुधार हेतु सक्षम बनाया जा सके। यह फीडबैक दो तरीको से दिया जा सकता है: अग्नि चेतावनी एस एम एस में सम्मिलित एक लिंक के माध्यम से तात्कालिक फीडबैक एवं समय अंतराल के साथ ऑफलाइन में अलग फीडबैक।

एफ एस आई से क्रास-सत्यापन किए जाने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि उत्तराखण्ड वन विभाग अन्य राज्यों के विपरीत तात्कालिक फीडबैक नहीं दे रहा था। इसी बीच, विभाग ने लेखापरीक्षा को अवगत कराया कि प्रभाग फॉरेस्ट फायर रिपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (एफ एफ आर एम एस) नामक आंतरिक ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा फीडबैक देते हैं जिसे अग्नि काल के अंत में एफ एस आई के साथ साझा किया जाता है। एफ एफ आर एम एस डेटा की समीक्षा पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रभागों ने अपने मुख्यालय को एफ एस आई की अग्नि चेतावनियों पर आंशिक फीडबैक दिया था। इसके अतिरिक्त, वन विभाग ने इस आंशिक³⁹ फीडबैक को भी एफ एस आई को उपलब्ध कराने में लापरवाही बरती थी। तदनुसार, लेखापरीक्षा ने पाया कि वन विभाग ने 2018, 2019 व 2020 के दौरान तीन अग्नि कालों में से मात्र एक⁴⁰ में एफ एस आई की अग्नि चेतावनियों पर फीडबैक दिया था।

इंगित किये जाने पर, विभाग ने अवगत कराया (मार्च 2022) कि वर्तमान वनाग्नि काल 2022 में एफ एस आई चेतावनियों को विभाग के एफ एफ आर एम एस पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड करने तथा संबंधित अधिकारियों को सूचना भेजने की प्रक्रिया गतिमान है। साथ ही, प्रत्येक फील्ड स्तरीय वन कार्मिक को एफ एस आई की अग्नि चेतावनी प्रणाली से जोड़ने का कार्य भी गतिमान है।

2.2.8.2 संदिग्ध फीडबैक

लेखापरीक्षा ने प्रभागों द्वारा एफ एस आई की अग्नि चेतावनियों पर दिये गए फीडबैक की समीक्षा की। समीक्षा में पाया गया कि प्रभागों ने एफ एस आई द्वारा प्रेषित कुल अग्नि चेतावनियों में से मात्र चार से 11 प्रतिशत मामलों में वनाग्नि को स्वीकार किया था जैसा कि नीचे तालिका-2.2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.2.2: वनाग्नि फीडबैक का विवरण

वर्ष	प्रभागों द्वारा प्रस्तुत वनाग्नि फीडबैक	प्रभागों द्वारा दिये गए कुल फीडबैक	कुल फीडबैक के सापेक्ष स्वीकार की गई वनाग्नि की प्रतिशतता
2018	511	5,688	8.98
2019	537	4,646	11.5
2020	24	573	4.18

प्रभाग की फीडबैक की सत्यता जाँचने के लिए हमने एक प्रभाग⁴¹ के एफ एस आई चेतावनियों पर फीडबैक की तुलना दैनिक अग्नि प्रतिवेदन (मैनुअल रूप से) से की, जिसका विवरण नीचे

³⁹ 2018 के लिए 45 प्रतिशत और 2019 के लिए 49 प्रतिशत।

⁴⁰ अग्नि काल 2018।

⁴¹ नरेंद्र नगर।

तालिका-2.2.3 में है। तुलना से ज्ञात हुआ कि प्रभाग दो प्रकार से गलत फीडबैक देकर अग्नि घटनाओं की कम सूचित कर रहा था: एफ एस आई की अग्नि चेतावनी को अग्नि न मान कर, अस्वीकार करके या यह कहकर कि उक्त अग्नि चेतावनी विभाग द्वारा ही की गयी नियंत्रित अग्नि से संबंधित थी (कंट्रोल वनाग्नि)। तदनुसार, 2018 व 2019 के दौरान 61 अग्नि घटनाओं में से 40 को एफ एस आई चेतावनियों के फीडबैक पर कंट्रोल वनाग्नि के रूप में प्रतिवेदित किया था जबकि एफ एफ आर एम एस के दैनिक प्रतिवेदन में इन्हें वनाग्नि के रूप में प्रतिवेदित किया था।

तालिका-2.2.3: नरेन्द्र नगर वन प्रभाग में एक ही भूगर्भीय स्थान व समय के लिए फीडबैक और दैनिक प्रतिवेदन की तुलना

वर्ष	एफ एस आई द्वारा जारी किए गए अग्नि चेतावनियों की संख्या	एफ एस आई की चेतावनियों के फीडबैक में वनाग्नि स्वीकार करने किए जाने की संख्या	दैनिक प्रतिवेदन के अनुसार वनाग्नि की घटनाओं की संख्या
2018	889	0	27
2019	447	2	34
2020	12	0	0
योग	1,348	2	61

स्रोत: सूचना चयनित प्रभागों और आई टी जी सी से एकत्रित की गयी।

उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए तथ्यों से, प्रभागों द्वारा दिये गए फीडबैक की यथार्थता और प्रभागों द्वारा वास्तविक स्थलीय सत्यता पर संदेह उत्पन्न करते हैं।

इंगित किये जाने पर, विभाग ने अवगत कराया (मार्च 2022) कि अग्नि काल 2022 में स्थलीय सत्यता के लिए जिओटैगड फीडबैक के साथ फोटोग्राफिक साक्ष्य भी सुनिश्चित किये जायेंगे। आगे, विभाग ने यह भी अवगत कराया कि सभी प्रभागों से फीडबैक प्राप्त कर, एफ एस आई को साप्ताहिक रूप से प्रेषित किया जा रहा है।

2.2.8.3 गलत चेतावनियों की अधिक प्रतिशतता

एफ एस आई की अग्नि चेतावनियों के फीडबैक की समीक्षा पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रभागों द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि 18 से 26 प्रतिशत अग्नि चेतावनियों में कोई अग्नि नहीं थी जैसा कि नीचे तालिका-2.2.4 में वर्णित है। यह अनुपात निम्नांकित कारणों से संदिग्ध था। लेखापरीक्षा के साथ चर्चा के दौरान एफ एस आई ने इस बात पर जोर दिया कि सैटेलाइट की पता लगाने की सटीकता बहुत अधिक है। दूसरा, तेलंगाना जैसे अन्य राज्यों ने उत्तराखण्ड में 18-26 प्रतिशत के सापेक्ष एफ एस आई से प्राप्त कुल चेतावनियों में से मात्र 1.49 प्रतिशत को गलत चेतावनियों के रूप में प्रतिवेदित किया था। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड के भीतर भी गलत चेतावनियों के अनुपात में व्यापक अंतर था।

तालिका-2.2.4: गलत चेतावनी फीडबैक का विवरण

वर्ष	प्रभागों द्वारा प्रस्तुत कुल फीडबैक	गलत चेतावनी फीडबैक	कुल फीडबैक के सापेक्ष गलत चेतावनी की प्रतिशतता
2018	5,688	1,014	17.82
2019	4,646	1,182	25.44
2020	573	147	25.65

स्रोत: आई टी जी सी से एकत्रित सूचना।

इंगित किये जाने पर, विभाग ने अवगत कराया (मार्च 2022) कि सैटेलाइट, अग्नि का पता लगाने हेतु वन कर्मियों द्वारा किए गए फायर ड्रिल और कंट्रोल बर्निंग को भी वनाग्नि के रूप में गणना करता है। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये गतिविधियाँ अग्नि काल प्रारम्भ होने के पूर्व की जाती हैं। इसके अलावा, विशेषज्ञ एजेंसी आई आई आर एस ने स्पष्ट किया है कि वनाग्नि की तुलना में मॉक ड्रिल और कंट्रोल बर्निंग के सैटेलाइट संकेतक भिन्न होते हैं।

2.2.8.4 अग्नि के स्थल की गलत रिपोर्टिंग

एफ एस आई की अग्नि चेतावनियों के फीडबैक की समीक्षा पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रभागों द्वारा प्रतिवेदित कुल फीडबैक के 11 से 31 प्रतिशत में अग्नि चेतावनी वन क्षेत्र के बाहर की आग से संबंधित थी जैसा कि नीचे तालिका-2.2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.2.5: समस्त प्रभागों द्वारा दिये गए कुल फीडबैक के सापेक्ष 'कृषि/गैर वानिकी भूमि में अग्नि' और 'आरक्षित वनों के बाहर अग्नि' शीर्षक के अंतर्गत फीडबैक का विस्तृत वर्णन

वर्ष	प्रभागों द्वारा दिये गए कुल फीडबैक	फीडबैक जिनमें वनों के बाहर अग्नि का दावा किया गया है ⁴²	कुल फीडबैक के सापेक्ष ऐसे फीडबैक की प्रतिशतता जिनमें वनों के बाहर अग्नि का दावा किया गया हो
2018	5,688	1,787	31.42
2019	4,646	497	10.70
2020	573	76	13.26

स्रोत: आई टी जी सी, वन विभाग से एकत्रित सूचना।

फीडबैक की सत्यता की जाँच करने के लिए लेखापरीक्षा ने 30 रैंडम प्रकरणों, जहाँ प्रभागों ने अग्नि आरक्षित वन के बाहर प्रतिवेदित की थी, की क्रॉस जाँच⁴³ की। क्रॉस जाँच में, उपरोक्त वर्णित 30 मामलों में से 19 मामले आरक्षित वन क्षेत्र में पाए गए। इस प्रकार, प्रभागों ने अपने क्षेत्राधिकार में होने वाली अग्नि को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी से बचने के लिए गलत फीडबैक दिया था।

⁴² इस फीडबैक में, कृषि/गैर वानिकी भूमि में अग्नि और आरक्षित वनों के बाहर अग्नि आदि का जोड़ सम्मिलित है।

⁴³ वन विभाग के आई टी जी सी को, यह पता लगाने के लिए दिया गया था कि क्या विशेष स्थान 'आरक्षित वन के अंदर' अथवा 'आरक्षित वन से बाहर' की सीमा में आता है।

इंगित किये जाने पर विभाग ने अवगत कराया (मार्च 2022) कि सैटेलाइट के रेसोल्यूशन के कारण एक-ही वनाग्नि की घटना के लिए एक से अधिक अग्नि चेतावनियाँ प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार, जब अग्नि आरक्षित वनों और राजस्व भूमि की सीमा पर होती है तो चेतावनी आरक्षित वन के लिए प्रतिवेदित की जाती है भले ही घटना राजस्व भूमि पर हुई हो। विभाग ने यह भी अवगत कराया कि अग्नि काल 2022 से एफ एफ आर एम एस पोर्टल में स्थल का जिओटैग फोटोग्राफ अपलोड किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एफ एस आई की सभी चेतावनियाँ आवश्यक स्थल फ़िल्टर के बाद ही जारी की जाती हैं और जैसा कि एफ एस आई द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त तकनीकियाँ 'आरक्षित वनों के बाहर अग्नि' के इतने उच्च प्रतिशत का कारण नहीं हो सकती, जिनमे से अधिकांश, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, आरक्षित वनों की सीमा में आती है।

2.2.9 जले हुए क्षेत्र का आकलन

अग्नि के बाद, प्रभाग मैन्युअल रूप से, जले हुए क्षेत्र का आकलन करते हैं। इसके बाद विभाग⁴⁴ द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर आर्थिक क्षति की गणना की जाती है। जैसा कि पहले अवगत कराया गया है, मैन्युअल प्रक्रिया के अलावा जले हुए क्षेत्र का आकलन करने के लिए, रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जा सकता है।

2.2.9.1 वनाग्नि के कारण ₹ 43.32 करोड़ हानि की कम रिपोर्टिंग

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015 में एन आर एस सी, हैदराबाद⁴⁵ के साथ एक समझौता जापन (एम ओ यू) जिसमें रिमोट सेंसिंग का उपयोग कर जले हुए क्षेत्र का आकलन किया जाना सम्मिलित था, पर हस्ताक्षर करने के बावजूद विभाग अभी भी मैन्युअल प्रक्रिया से जले हुए क्षेत्र के आँकड़े एकत्रित कर रहा था।

विभाग द्वारा जले हुए क्षेत्र के मूल्यांकन की सटीकता का आकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2018 और 2019 के लिए इस डेटा की तुलना यूसैक⁴⁶ द्वारा जले हुए क्षेत्र के आकलन के साथ की और पाया कि विभाग ने 2018 में 1,297 प्रतिशत और 2019 में 5,751 प्रतिशत जले हुए क्षेत्र की कम रिपोर्टिंग की थी।

यूसैक के आँकड़ों की विश्वसनीयता को सत्यापित करने के लिए उनकी तुलना एक अन्य रिमोट सेंसिंग एजेंसी-आई आई आर एस द्वारा करवाए गए स्वतन्त्र मूल्यांकन के आँकड़ों से की गई। जैसा कि नीचे दर्शाए गए तुलनात्मक चार्ट-2.2.1 और परिशिष्ट-2.2.2 में दिये गए विवरण से स्पष्ट है कि


⁴⁴ सी सी एफ कार्य योजना।

⁴⁵ इसरो से संबंधित एक केंद्र।

⁴⁶ यूसैक के द्वारा अग्नि काल 2020 के लिए जले हुए क्षेत्र का आकलन नहीं किया गया है।

दो अलग-अलग संगठनों द्वारा रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जले हुए क्षेत्रों का आकलन लगभग समान है, जबकि विभाग द्वारा मैनुअल मूल्यांकन बहुत कम आकलित किया गया है।

चार्ट-2.2.1: विभाग, आई आई आर एस एवं यूसैक द्वारा किए गए जले हुए क्षेत्र के आकलन में भिन्नता



चार्ट-2.2.1: अग्नि काल 2018 के लिए विभाग (लाल); यूसैक (हरा) और आई आई आर एस (नारंगी) द्वारा किये आकलन के अनुसार जिलावार जले हुए क्षेत्र (हे में) की तुलना।

जले हुए क्षेत्र का कम आकलन किए जाने के कारण ₹ 43.32 करोड़ की आर्थिक हानि कम प्रतिवेदित की गयी, जैसा कि नीचे तालिका-2.2.6 में विस्तृत है।

तालिका-2.2.6: विभाग और यूसैक के अनुसार जले हुए क्षेत्र में अंतर का विवरण

वर्ष	विभाग के अनुसार जला हुआ क्षेत्र (हे में)	यूसैक के अनुसार जला हुआ क्षेत्र (हे में)	जले हुए क्षेत्र (हे. में) में अंतर (प्रतिशतता)	विभाग द्वारा घोषित हानि (₹ में)	वनाग्नि के कारण हानि की दर (₹/हे)	कम प्रतिवेदित हानि (₹ करोड़ में)
	1	2	3=2-1	4	5=4+1	6 = 5*3
2018	4,480.04	62,571.00	58,090.96 (1,296.66)	86,05,374.50	1,920.83	11.16
2019	2981.55	1,74,457.00	1,71,475.45 (5,751.22)	55,92,587.50	1875.73	32.16

स्रोत: यूसैक और आई टी जी सी से एकत्रित सूचना।

इस प्रकार, एन आर एस सी के साथ एम ओ यू होने के बावजूद भी मैनुअल प्रक्रिया के माध्यम से जले हुए क्षेत्रों का आकलन जारी रखने के परिणामस्वरूप जले हुए क्षेत्र का कम अनुमान लगाया गया और लगभग ₹ 43.32 करोड़ की आर्थिक हानि की कम रिपोर्टिंग की गयी।

विभाग ने अवगत कराया (मार्च 2022) कि वनाग्नि से हुई हानि का वित्तीय आकलन ए पी सी सी एफ द्वारा जारी स्थाई आदेशों, कार्य योजना के अनुसार किया जाता है। तथापि, जले हुए क्षेत्र के आकलन के लिए आई आई आर एस के साथ सहभागिता की गयी है (फरवरी 2022) और भविष्य में रिमोट सेंसिंग/जी आई एस के आधार पर क्षति का अनुमान लगाया जाएगा।

2.2.10 निष्कर्ष

राज्य वन विभाग द्वारा रिमोट सेंसिंग का उपयोग कर अग्नि जोखिम क्षेत्रीकरण की प्रक्रिया की गई थी, जिसमें वनों को वनाग्नि के प्रति उनकी संवेदनशीलता के आधार पर वर्गीकृत किया गया। तथापि, इस वर्गीकरण का उपयोग संसाधन आवंटन के आधार के रूप में नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप निधियों का गलत आवंटन हुआ। अग्नि संभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुरक्षा उपकरणों का अभाव था। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा सृजित अग्नि चेतावनी पर तत्काल फीडबैक प्रस्तुत करने की व्यवस्था होने के बावजूद विभाग ने, भारतीय वन सर्वेक्षण को अग्नि चेतावनी पर फीडबैक नहीं दिये थे। विभागीय प्रतिवेदन प्रणाली अर्थात् फॉरेस्ट फायर रिपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में प्रभागों द्वारा अपलोड किये गए फीडबैक आँकड़ों के विश्लेषण में गंभीर अशुद्धियों का पता चला और इस तथ्य पर संदेह उत्पन्न हुआ कि क्या चेतावनियों की स्थलीय सत्यता वास्तव में वन कार्मिकों द्वारा की जा रही थी। स्वतंत्र विशेषज्ञ संगठनों के आँकड़ों के साथ तुलना में, जले हुए क्षेत्र की अति अल्प रिपोर्टिंग और तदनुसार कम आर्थिक क्षति का आकलन पाया गया। 2015 में राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन होने के बावजूद विभाग द्वारा आग लगने के बाद, जले हुए क्षेत्र का आकलन मैनुअल रूप से किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप जले हुए क्षेत्र की कम रिपोर्टिंग हुई।

2.2.11 अनुशासन

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित अनुशासन की जाती है:

1. प्रभागों और रेंजों को वित्तीय आवंटन के लिए अग्नि जोखिम क्षेत्रीकरण मानचित्र को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हाई रिस्क जोन-1 के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये और अग्नि काल के प्रारम्भ में ही धनराशि उपलब्ध करवायी जानी चाहिए ताकि संवेदनशील क्षेत्रों में रोकथाम और शमन कार्य धन की कमी के कारण प्रभावित न हो।
2. सभी प्रभागों के लिए ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग करते हुए, भारतीय वन सर्वेक्षण को अग्नि चेतावनी पर समय से फीडबैक देना अनिवार्य किया जाना चाहिए। ताकि भारतीय वन सर्वेक्षण को वास्तविक समय में सही जानकारी दी जा सके। विभाग को चेतावनी के उचित सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिए स्थलीय सत्यता के दौरान फोटोग्राफिक साक्ष्य का संग्रह जैसे एक तंत्र को स्थापित करना चाहिए।
3. राज्य के कठिन ऊबड़-खाबड़ भूभाग को ध्यान में रखते हुए, जो कई क्षेत्रों को आसानी से सुगम नहीं बनाता है, वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का आकलन रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करके किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें मानकीकृत कार्यप्रणाली है और इसे कम जनशक्ति के साथ, कम समय में पूरा किया जा सकता है। विभाग को या तो जले हुए क्षेत्र के अनुमान प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र के साथ किए समझौता ज्ञापन के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिये या वह यू.एस.ए. जैसी राज्य एजेंसी से आँकड़े प्राप्त कर सकता है।
4. वनाग्नि प्रबंधन में ड्रोन के उपयोग पर विचार किया जा सकता है क्योंकि ड्रोन अग्निशामकों को, क्षेत्र का एक विहंगम दृश्य देते हैं और कर्मियों के जीवन को जोखिम में डाले बिना वास्तविक आँकड़े उपलब्ध करा सकते हैं। ड्रोन, धुंए के साथ-साथ रात में भी, उच्च गुणवत्ता का छायाचित्र ले सकते हैं और इसका उपयोग वनाग्नि के सभी चरणों में किया जा सकता है: अग्नि काल से पूर्व फायर लाइन की निगरानी के लिए; अग्नि काल के दौरान निर्णय लेने के साथ-साथ अग्नि बुझाने⁴⁷; और अग्नि के बाद शीघ्रता से क्षति का आकलन करने हेतु। इसी तरह की अनुशासन संसद के दोनों सदनों में दिसंबर 2016 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन संख्या 293 में दी गई थी।

नागरिक उड्डयन विभाग

2.3 ₹ 2.69 करोड़ के संचालन शुल्क की वसूली करने में विफलता

उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण हेली कंपनियों से संचालन शुल्क के रूप में ₹ 2.69 करोड़ की धनराशि वसूल करने में विफल रहा।

उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यू सी ए डी ए) की स्थापना 30 मई 2013 को राज्य में पर्यटकों की सुविधा के लिए हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टरों के संचालन के उद्देश्य से की गई

⁴⁷ अग्नि के प्रकरण में अग्नि प्रशमन ड्रोन प्रथम प्रतिक्रियादाता हो सकते हैं। लगभग 10-15 किलोग्राम भार उठाने की क्षमता के साथ, अग्नि प्रशमन सामग्री /वाल्स को ले जा सकते हैं और छिड़क सकते हैं और स्थान पर जल्दी पहुँच सकते हैं।

थी। उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु, यू सी ए डी ए ने हेली कंपनियों⁴⁸ (एच सी) को वर्ष 2015 और 2016 के लिए श्री केदारनाथ जी तक हेलीकॉप्टर शटल सेवा की अनुमति (अप्रैल 2015 और अप्रैल/मई 2016) इस शर्त के साथ प्रदान की थी कि सभी ऑपरेटरों को श्री केदारनाथ जी तक उड़ान के लिए संचालन शुल्क के रूप में यू सी ए डी ए को प्रति उड़ान ₹ 1,000 की निश्चित धनराशि का भुगतान करना होगा। यू सी ए डी ए को जिला मजिस्ट्रेट (डी एम) रुद्रप्रयाग के साथ-साथ एच सी से प्रत्येक दिन की उड़ानों का विवरण प्राप्त करना आवश्यक था। डी एम, रुद्रप्रयाग और एच सी से प्राप्त विवरण के सत्यापन के पश्चात संचालन शुल्क की वसूली हेतु संबंधित एच सी पर देयक जारी किए जाने थे।

यू सी ए डी ए के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2020) में पाया गया कि यू सी ए डी ए न तो हेलीकॉप्टर कंपनियों द्वारा श्री केदारनाथ जी तक संचालित की जा रही दैनिक उड़ानों के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहा था, और न ही अनुबंध की शर्तों के अनुसार कोई राजस्व एकत्रित कर रहा था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित (21 जनवरी 2020) किए जाने पर, यू सी ए डी ए ने डी एम, रुद्रप्रयाग से शटल सेवाओं के विवरण प्राप्त किए (31 जनवरी 2020), और वर्ष 2015 और 2016 के दौरान क्रमशः 14,924 और 6310 उड़ानों के सापेक्ष संचालन शुल्क के रूप में एच सी पर ₹ 2.51 करोड़⁴⁹ (18 प्रतिशत जी एस टी सहित) की मांग जारी की गयी (जुलाई 2020)।

इसी प्रकार, यू सी ए डी ए द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी (दिसंबर 2021) से यह भी ज्ञात हुआ कि यू सी ए डी ए ने वर्ष 2016 के दौरान श्री हेमकुंड साहिब जी तक हेलीकॉप्टर शटल सेवा उपलब्ध कराने वाली एक एच सी⁵⁰ पर 1,566 उड़ानों के सापेक्ष ₹ 18.48 लाख⁵¹ के संचालन शुल्क की मांग अभी तक जारी नहीं की थी क्योंकि एच सी के साथ मिलान की प्रक्रिया अभी भी प्रगति में थी।

अतः, यू सी ए डी ए छः वर्षों पश्चात भी संबंधित एच सी से संचालन शुल्क के रूप में ₹ 2.69 करोड़⁵² की धनराशि वसूल करने में विफल रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए सूचित किया गया (जनवरी 2022) कि ₹ 78.83 लाख की धनराशि वसूल कर ली गई है तथा शेष धनराशि की वसूली

⁴⁸ वर्ष 2015 हेतु: इंडोकॉप्टर, सिम सैम, ग्लोबल वेक्ट्रा, आर्यन एविएशन, पिनेकल एयर, यू टी एयर, पवन हंस, ट्रांसभारत, सुमित, हिमालयन हेली सर्विसेज, हेरिटेज एविएशन और प्रेम एयर।

वर्ष 2016 हेतु: एरो एयरक्राफ्ट, गोधावत, ग्लोबल वेक्ट्रा, आर्यन एविएशन, पिनेकल एयर, यूटी एयर, पवन हंस, ट्रांसभारत, सुमित, हिमालयन हेली सर्विसेज और हेरिटेज एविएशन।

⁴⁹ [₹ 1,76,10,320 {₹ 1,49,24,000 (14,924 उड़ानें x 1000) + ₹ 26,86,320 (₹ 14,924,000 पर 18 प्रतिशत जी एस टी)} (वर्ष 2015 के लिए) + [₹ 74,45,800 {₹ 63,10,000 (6310 उड़ानें x1000) + ₹ 11,35,800 (₹ 63,10,000 पर 18 प्रतिशत जी एस टी)} वर्ष 2016 के लिए] = ₹ 2,50,56,120 (अर्थात ₹ 2.51 करोड़)।

⁵⁰ मैसर्स प्रभातम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड।

⁵¹ [₹ 15,66,000 (1,566 उड़ानें x ₹ 1000) + ₹ 2,81,880 (₹ 15,66,000 पर 18 प्रतिशत जी एस टी)] = ₹ 18,47,880 (अर्थात ₹ 0.18 करोड़)।

⁵² ₹ 2.51 करोड़ + ₹ 0.18 करोड़ = ₹ 2.69 करोड़।

संबंधित एच सी के साथ मिलान के पश्चात कर ली जाएगी और लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जाएगा।

शासन के प्रतिउत्तर को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि यू सी ए डी ए द्वारा संबंधित डी एम से एच सी द्वारा संचालित शटल सेवाओं का विवरण प्राप्त करना और संचालन शुल्क की वसूली की मांग की जानी थी, परंतु छः वर्ष बीत जाने के पश्चात भी यू सी ए डी ए अभी भी एच सी के साथ विवरण का मिलान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, यू सी ए डी ए द्वारा ₹ 78.83 लाख की वसूली के संबंध में कोई भी अभिलेख/साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

अतः यू सी ए डी ए न केवल संबंधित एच सी से संचालन शुल्क के रूप में ₹ 2.69 करोड़ की धनराशि वसूल करने में विफल रहा, बल्कि संचालन शुल्क के रूप में प्राप्य धनराशि पर ₹ 45.12 लाख⁵³ के ब्याज से भी वंचित रहा।

2.4 कमजोर आंतरिक नियंत्रण के कारण ₹ 63.62 लाख का दोहरा भुगतान

कमजोर आंतरिक नियंत्रण एवं दोहरे भुगतान हेतु उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों की उदासीनता के कारण उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण को ₹ 63.62 लाख की हानि वहन करनी पड़ी। गणमान्य व्यक्तियों को हेलीकाप्टर सेवाएँ प्रदान करते हुए, यू सी ए डी ए ने इन सेवाओं के लिए मूलभूत अभिलेखों/पंजिका/स्वीकृतियों का रखरखाव नहीं किया।

वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि सरकारी खजाने से धन व्यय करने में उतनी ही सतर्कता बरते जितनी कि कोई सामान्य विवेकशील व्यक्ति अपना स्वयं का धन व्यय करने में बरतता है। सरकारी खजाने से व्यय किसी व्यक्ति विशेष या लोगों के किसी वर्ग विशेष के लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

वित्तीय हस्तपुस्तिका (खण्ड-V) भाग- II का नियम 428 निर्धारित करता है कि धन के दावे के रूप में प्रस्तुत किए गए सभी देयकों की जाँच की जाएगी और देयक पारित लिपिक द्वारा देयक पारित पंजिका में दर्ज किया जाएगा। लेखाकार द्वारा जाँच किए जाने के पश्चात, देयकों को भुगतान हेतु पारित होने के लिए देयक पारित पंजिका के साथ देयक पारित करने वाले प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। भुगतान हेतु पारित होने पर, देयकों को भुगतान पंजिका में दर्ज किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, देयक पारित करने वाला प्राधिकारी यह जाँच करेगा कि देयक सही है, क्रम में है, स्वीकार्य है तथा देयक का भुगतान पहले नहीं किया गया है का प्रमाणपत्र देयक पर अंकित किया गया है। यदि दावा स्वीकार्य है, तो प्राधिकारी भुगतान के आदेश पर हस्ताक्षर करेगा।

⁵³ ₹ 45,12,340 = ₹ 31,34,040 [वर्ष 2015 में प्राप्य संचालन शुल्क पर ब्याज {14,924 x ₹ 1000 = ₹ 1,49,24,000 @ 3.5 प्रतिशत (बचत बैंक खाते पर ब्याज की दर) 6 वर्षों के लिये (2016-17 से 2021-22)}] + ₹ 13,78,300 [वर्ष 2016 में प्राप्य संचालन शुल्क पर ब्याज {(6,310 + 1,566) x ₹ 1000 = ₹ 78,76,000 @ 3.5 प्रतिशत (बचत बैंक खाते पर ब्याज की दर) 5 वर्षों के लिये (2017-18 से 2021-22)}]।

वित्तीय हस्तपुस्तिका (खण्ड-V) भाग-I के अनुभाग-XIV के नियम 82(1)(iii) में प्रावधान है कि प्रत्येक अधिकारी को यह पूरी तरह और स्पष्ट रूप से समझ होनी चाहिए कि धोखाधड़ी या उसकी ओर से लापरवाही के कारण सरकार को होने वाली किसी भी हानि के लिए उसे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा और यह कि किसी अन्य अधिकारी की ओर से धोखाधड़ी और लापरवाही से होने वाली किसी भी हानि के लिए, उस सीमा तक जहाँ तक यह प्रदर्शित होगा कि उसने अपनी कार्यवाही या लापरवाही से नुकसान में योगदान दिया है, के लिए भी उसे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

यू सी ए डी ए की स्थापना (शासनादेश संख्या 106/IX/2013 दिनांक 30 मई 2013), पर्यटकों को आकर्षित करने और हवाई जहाज एवं हेलीकाप्टरों के संचालन हेतु हवाई पट्टियों के निर्माण के उद्देश्य से की गई थी। इस आदेश के अनुसार, यू सी ए डी ए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुमोदन से प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों को आधिकारिक दौरे के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर की सुविधा प्रदान करेगा और यात्रा के लिए शुल्क संबंधित विभाग द्वारा वहन किया जाएगा परंतु उक्त गणमान्य व्यक्तियों को मुख्यमंत्री के अनुमोदन से निःशुल्क सुविधाएं भी प्रदान की जा सकती हैं। इस उद्देश्य हेतु, यू सी ए डी ए राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से एक नीति तैयार करेगा। ऐसी सुविधाएं प्रदान करने हेतु, यू सी ए डी ए हेली कंपनियों से भी सेवाएं लेता है।

यू सी ए डी ए के अभिलेखों की जाँच (जनवरी/फरवरी 2020) और अग्रेतर एकत्रित सूचना (मार्च 2021) से ज्ञात हुआ कि यू सी ए डी ए ने गणमान्य व्यक्तियों की आधिकारिक यात्रा के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर की सुविधा को विनियमित करने हेतु कोई नीति तैयार नहीं की थी। यद्यपि, यह गणमान्य व्यक्तियों को ये सेवाएं प्रदान कर रहा था और शासन से बजटीय सहायता/अनुदान प्राप्त कर रहा था। लेखापरीक्षा ने पाया कि ऐसी सेवाओं के लिए कोई पंजिका या स्वीकृति आदेश/अनुमोदन या कोई अन्य सत्यापन-योग्य नियंत्रण तंत्र नहीं बनाया गया था। किसी भी आंतरिक नियंत्रण तंत्र के अभाव में, सरकारी खजाने के व्यय पर अनधिकृत व्यक्तियों को इन सेवाओं को उपलब्ध कराने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

पुनः, लेखापरीक्षा ने हेली-कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए देयकों/चालानों की जाँच की और यह पाया कि यू सी ए डी ए ने अक्टूबर 2014 से अप्रैल 2015 के दौरान गणमान्य व्यक्तियों द्वारा की गई यात्रा के सापेक्ष पाँच मामलों में हेली कंपनी (मैसर्स यू टी एयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) को ₹ 27.39 लाख का दोहरा भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि यू सी ए डी ए के संबंधित अवधि (वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए) के वार्षिक लेखाओं को उनके लेखापरीक्षक द्वारा दोहरे भुगतान के इन मामलों का पता लगाए बिना ही प्रमाणित कर दिया गया था।

इंगित किए जाने पर, यू सी ए डी ए ने मामले की जाँच की (जुलाई 2020) और पाया कि ₹ 27.39 लाख के दोहरे भुगतान के अतिरिक्त, अन्य पाँच मामलों में भी उसी कंपनी को

₹ 36.23 लाख का भुगतान दो बार किया गया था। यू सी ए डी ए ने आगे सूचित किया (जून 2021) कि संबंधित कंपनी के साथ ₹ 63.62 लाख⁵⁴ की धनराशि जमा करने के लिए पत्राचार किया जा रहा था और यदि कंपनी धनराशि जमा करने में विफल रहती है, तो मामले में कानूनी कार्यवाई शुरू की जाएगी। उसने यह भी स्वीकार किया (सितंबर 2020) कि प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों के आवागमन/आधिकारिक दौरों के संबंध में पहले किसी भी पंजिका का रखरखाव नहीं किया जा रहा था और वरिष्ठ अधिकारियों के मौखिक निर्देशों पर सेवाएँ उपलब्ध करायी जा रही थी, तथापि, दिसंबर 2019 से उक्त पंजिका का रखरखाव किया जा रहा है।

अतः, यू सी ए डी ए को अपने आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करना चाहिए और विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही/धोखाधड़ी से बचा जा सके।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया था (सितंबर 2021); उत्तर प्रतीक्षित है (सितंबर 2022)।

संस्कृति विभाग

2.5 निष्फल व्यय

खराब वित्तीय प्रबंधन के परिणामस्वरूप ₹ 57.61 लाख का निष्फल व्यय तथा ₹ 31.52 लाख की देयताओं का सृजन हुआ।

बजट नियमावली के नियम 49 के अनुसार, नए व्यय वाले प्रत्येक प्रस्ताव या योजना को यथासंभव पूर्ण और संक्षिप्त रूप से समझाया जाना चाहिए तथा इसके वित्तीय प्रभाव, तात्कालिक और अनंतिम दोनों, साथ ही भौतिक लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित योजना/कार्यक्रम का लागत-लाभ विश्लेषण भी इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि प्रस्तावित व्यय से किस सीमा तक आर्थिक/सामाजिक लाभ परिणित होगा।

वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी (दिसम्बर 2015) किया था कि बजट आकलन तैयार करते समय, बजटीय आवंटन का 80 प्रतिशत चालू और अधूरी पूंजीगत परियोजनाओं के उपयोग के लिए होना चाहिए।

निदेशक, संस्कृति विभाग के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2021) में पाया गया कि प्रशासनिक विभाग (संस्कृति, पर्यटन एवं खेल विभाग) द्वारा बाजपुर⁵⁵ में 300 सीटों की क्षमता वाले सभागार के निर्माण के लिए ₹ 4.96 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (मार्च 2015) की गयी तथा संस्कृति विभाग को ₹ 57.61 लाख की प्रथम किस्त अवमुक्त की गयी थी। तत्पश्चात, विभाग ने कार्यान्वयन एजेंसी (आई ए) को प्रथम किस्त अवमुक्त (अप्रैल 2015) की। आई ए ने ₹ 89.13 लाख⁵⁶ की लागत से नवंबर 2015 तक 12 प्रतिशत कार्य⁵⁷ पूर्ण किया। तत्पश्चात, अगस्त 2019 तक कार्य में कोई भौतिक प्रगति नहीं हुई थी।

⁵⁴ ₹ 27.39 लाख + ₹ 36.23 लाख।

⁵⁵ बाजपुर चीनी मिल द्वारा संस्कृति विभाग को भूमि निःशुल्क प्रदान की गई थी।

⁵⁶ पहली किस्त से ₹ 57.61 लाख और निधियों के जारी होने की प्रत्याशा में ₹ 31.52 लाख का व्यय किया गया।

आगे जाँच में, लेखापरीक्षा ने पाया कि शासन ने 2016-20 के दौरान परियोजना के लिए आई ए को कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की, जबकि उक्त अवधि के दौरान संबंधित योजना (सभागार का निर्माण) के अन्तर्गत ₹ 8.30 करोड़⁵⁸ का आवंटन किया गया था तथा निदेशालय द्वारा उक्त सभागार के निर्माण को पूर्ण करने के लिए धनराशि अवमुक्त करने हेतु शासन से बार-बार अनुरोध (अक्टूबर 2015, मार्च 2019 और जुलाई 2019) किया गया था। आई ए को निधियाँ जारी करने में सरकार की असमर्थता गंभीर अनियमितता थी क्योंकि वित्त विभाग के मौजूदा निर्देशों के अनुसार, बजटीय आवंटन का 80 प्रतिशत चालू और अपूर्ण पूंजीगत परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जाना था।

जुलाई 2020 में शासन (सचिव, संस्कृति, धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबंधन और धार्मिक मामले) ने उक्त अधूरे कार्य को समाप्त करने का निर्णय लिया और बिना किसी जाँच एवं अपूर्णता के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किए तथा आई ए के प्रति ₹ 31.52 लाख की अदत्त देयता पर निर्णय लिए बिना ही संस्कृति विभाग को इसे अपने आधिकार में लेने की अनुमति प्रदान की।

एक परियोजना को बीच में ही समाप्त करने का शासन का निर्णय सरकार के कामकाज में मनमानी को दर्शाता है और इस तथ्य की पूर्ण अवहेलना करता है कि आमतौर पर पूंजीगत परियोजनाओं को उधार से वित्त पोषित किया जाता है। एक अधूरी परियोजना के परित्याग ने बिना किसी सामाजिक-आर्थिक लाभ के मूलधन और उस पर ब्याज भुगतान के दायित्व को सृजित किया।

प्रकरण इंगित किए जाने पर, शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया गया (फरवरी 2022) कि सभागार की कम क्षमता को ध्यान में रखते हुए कार्य को बंद करने का निर्णय लिया गया था। विभाग का उत्तर बजट नियमावली, एवं बजट परिपत्र के प्रावधानों के विरुद्ध था और यह अल्प सार्वजनिक संसाधनों के खराब प्रबंधन को भी दर्शाता है।

खराब वित्तीय प्रबंधन, पूंजीगत परियोजनाओं का खराब अनुश्रवण तथा शासन स्तर पर खराब जवाबदेही प्रणाली के परिणामस्वरूप ₹ 57.61 लाख का निष्फल व्यय हुआ और ₹ 31.52 लाख की देयता सृजित हुई।

ग्रामीण विकास विभाग

2.6. ठेकेदार को अदेय लाभ

विभागीय लापरवाही के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 78.91 लाख का अदेय लाभ।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) के अंतर्गत जिला पौड़ी गढ़वाल के द्वारीखाल ब्लॉक में रिंगालपानी-जसपुर से ग्वील-गढ़कोट मोटर मार्ग के प्रथम चरण के निर्माण कार्य हेतु ₹ 9.28 करोड़⁵⁹ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (फरवरी 2014) की

⁵⁷ बेसमेंट में राफ्ट, फाउंडेशन एवं कॉलम एवं रूफ लेवल तक बाहरी आर सी सी वॉल का कार्य।

⁵⁸ 2015-16 के लिए ₹ 1.00 करोड़; 2016-17 के लिए ₹ 1.00 करोड़; 2017-18 के लिए ₹ 2.00 करोड़; 2018-19 के लिए ₹ 0.30 करोड़; और 2019-20 के लिए ₹ 4.00 करोड़।

⁵⁹ मार्ग कार्य तथा पाँच-वर्ष अनुसंधान लागत।

गयी थी। उक्त कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (मु अ), पी एम जी एस वाई, उत्तराखण्ड द्वारा ₹ 8.69 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (टी एस) प्रदान (मार्च 2015) की गयी थी। विभाग द्वारा ठेकेदार के साथ ₹ 10.23 करोड़ का अनुबंध⁶⁰ गठित (मार्च 2015) किया गया था तथा कार्य फरवरी 2018 में पूर्ण किया गया था।

अधिकांश अभियन्ता, पी एम जी एस वाई, सिंचाई खण्ड, कोटद्वार के अभिलेखों की जाँच (दिसंबर 2020) में पाया गया कि कार्य के विस्तृत आगणन और टी एस के प्रावधानों के अनुसार, ग्रेनुलर सब बेस (जी एस बी) का कार्य स्थानीय सामग्री⁶¹ के साथ निष्पादित किया जाना था। तथापि, यह पाया गया कि विभाग ने जी एस बी कार्य हेतु निविदा स्थानीय सामग्री के स्थान पर वेल ग्रेडेड सामग्री के साथ आमंत्रित की थी, जो कि स्थानीय सामग्री से महंगी⁶² थी। ठेकेदार द्वारा इस सामग्री के लिए ₹ 1,300 प्रति घन मीटर⁶³ की दर दी गई, जोकि वेल ग्रेडेड सामग्री की अनुसूचित दर से 2.77 प्रतिशत एवं स्थानीय सामग्री की दर से 271 प्रतिशत अधिक थी, जिसे विभाग द्वारा बिना किसी समझौते के स्वीकार कर लिया गया। आगे, यह भी पाया गया कि यद्यपि जी एस बी कार्य के निष्पादन के लिए अनुबंध वेल ग्रेडेड सामग्री के साथ किया गया था किन्तु ठेकेदार ने जी एस बी का कार्य स्थानीय सामग्री के साथ निष्पादित किया तथा विभाग द्वारा उसकी वेल ग्रेडेड सामग्री की उद्धृत दर अर्थात् ₹ 1300 प्रति घन मीटर पर भुगतान किया गया। परिणामस्वरूप, महंगी सामग्री हेतु भुगतान कर ठेकेदार को ₹ 78.91 लाख⁶⁴ का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

इसे इंगित किए जाने पर, अधिकांश अभियन्ता द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया गया कि निविदा आमंत्रित करते समय विभाग द्वारा अनजाने में जी एस बी का कार्य स्थानीय सामग्री के स्थान पर वेल ग्रेडेड सामग्री के साथ उल्लिखित कर दिया गया था। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि निविदा अभिलेखों में स्थानीय सामग्री के साथ जी एस बी की सांकेतिक दर अर्थात् ₹ 479.30 प्रति घन मीटर उल्लिखित थी।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने बिना उचित तत्परता के ठेकेदार की उद्धृत दरों को स्वीकार किया और इस तथ्य के बावजूद कि कार्य स्थानीय सामग्री के साथ किया गया था, उच्च दरों से भुगतान किया। ठेकेदार को अनुचित लाभ के लेखापरीक्षा निष्कर्ष की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि उसी खण्ड में, किसी अन्य परियोजना में स्थानीय सामग्री के साथ जी एस बी कार्य, जिसके

⁶⁰ अनुबंध संख्या-96/एस ई-पी एम जी एस वाई/2014-15 दिनांक-30.03.2015।

⁶¹ मिक्स इन प्लेस विधि द्वारा स्थानीय सामग्री के साथ ग्रेनुलर सब बेस/ बेस/ सतह का कार्य।

⁶² एस ओ आर-2013 के अनुसार स्थानीय सामग्री की दर ₹ 479.30/घ मी थी जबकि वेल ग्रेडेड सामग्री की दर ₹ 1264.90/ घ मी थी।

⁶³ वेल ग्रेडेड सामग्री की दरों से 2.77 प्रतिशत अधिक।

⁶⁴ $9773.43 \text{ घ मी} \times ₹ 807.42 [₹ 1,300.00 - ₹ 492.58 (₹ 479.30 + 2.77 \text{ प्रतिशत अधिक})] = ₹ 78,91,262$ (अर्थात् ₹ 78.91 लाख) ।

लिए फरवरी 2018 में ठेका दिया गया था, ₹ 480.00 प्रति घन मीटर की दर से निष्पादित किया गया था।

अतः विभागीय लापरवाही के परिणामस्वरूप, ठेकेदार को ₹ 78.91 लाख का अनुचित लाभ हुआ, जिसके लिये संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध खामियों के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया था (सितंबर 2021); उत्तर प्रतीक्षित है (सितंबर 2022)।

पर्यटन विभाग और सिंचाई विभाग

2.7 राजस्व की हानि

उचित स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क अधिरोपित न किए जाने के कारण राजकोष को ₹ 49.81 लाख के राजस्व की हानि।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 33 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे विधि या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य प्राप्त करने का प्राधिकार है, और किसी लोक कार्यालय के प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति, जिसके समक्ष, उसके कर्तव्यों के निष्पादन में कोई विलेख प्रस्तुत किया जाए या आ जाए, जो उसकी राय में स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है और उसे प्रतीत हो कि वह विलेख यथाविधि स्टाम्पित नहीं है, उसे जब्त करेगा। इसके अतिरिक्त, इस प्रयोजन हेतु, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए कि विलेख के निष्पादन के समय प्रचलित विधि में निर्धारित मूल्य और प्रकार के स्टाम्प से स्टाम्पित है, उसके समक्ष ऐसे प्रस्तुत किए गये या आये प्रत्येक ऐसे प्रभार्य विलेख का परीक्षण करेगा। साथ ही, स्टाम्प अधिनियम की धारा 38 के अनुसार जब्त किये गये विलेख कलेक्टर को भेजे जायेंगे। इसके अतिरिक्त, भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (डी) के अनुसार, वर्ष-दर-वर्ष अचल संपत्ति के पट्टे के लिए, या एक वर्ष से अधिक की किसी भी अवधि के लिए, या वार्षिक किराया आरक्षित करने के लिए, पंजीकरण अनिवार्य है। इसके साथ, उत्तराखण्ड सरकार ने सभी विभागों को अनुबंधों के अनिवार्य पंजीकरण और पट्टे/अनुबंध पर उचित स्टाम्प शुल्क के संग्रहण हेतु निर्देशित⁶⁵ किया है।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अध्याय-1 की धारा 2 (16) (सी) के अनुसार, लीज़ का अर्थ अचल संपत्ति की लीज़ से है, और इसमें वह कोई भी विलेख जिससे किसी प्रकार की चुंगी दी जाये, भी सम्मिलित है। इसके साथ, उत्तराखण्ड में लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची I-बी के अनुच्छेद 35 {ए (i एवं ii)} के अनुसार, जहाँ कि लीज़ एक वर्ष से कम अवधि के लिए तात्पर्यित है, स्टाम्प शुल्क सम्पूर्ण धनराशि पर दो प्रतिशत होगा और जहाँ कि लीज़ ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो एक वर्ष से कम नहीं है किन्तु तीन वर्ष से अनधिक है, स्टाम्प शुल्क आरक्षित वार्षिक औसत

⁶⁵ उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या 69/2017/XXVII (9)/स्टाम्प-54/2010 दिनांक 08 अगस्त 2017।

किराए की धनराशि या मूल्य के तीन गुना के बराबर प्रतिफल पर दो प्रतिशत होगा। इसके अतिरिक्त, पंजीकरण शुल्क स्टाम्प शुल्क प्रतिफल का दो प्रतिशत या अधिकतम ₹ 25,000 होगा।

निदेशक, पर्यटन/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड (यू टी डी बी), देहरादून और अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग (आई डी), हरिद्वार के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2020) में पाया गया कि न तो उचित स्टाम्प शुल्क का संग्रहण किया गया था और न ही लीज़ पंजीकृत की गई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

अ) यू टी डी बी के मामले में, बोर्ड द्वारा पंडित दीन दयाल उपाध्याय पार्किंग कॉम्प्लेक्स, हरिद्वार को एक निजी ठेकेदार को तीन वर्ष की अवधि हेतु प्रति वर्ष पाँच प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ ₹ 5.02 करोड़ प्रति वर्ष में आवंटित किया था (अक्टूबर 2019)। लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड ने मात्र ₹ 100 के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया था। परिणामस्वरूप, लीज़धारक के ऊपर ₹ 31.62 लाख का स्टाम्प शुल्क तथा ₹ 0.25 लाख का रजिस्ट्रेशन शुल्क अधिरोपित नहीं किया गया था। उपरोक्त के अतिरिक्त, 17 पर्यटक अतिथि गृहों के पट्टे ₹ 1.39 लाख के उचित स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क अधिरोपित किए बिना ही आवंटित किये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, शासन ने अवगत कराया (दिसंबर 2021) कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा⁶⁶105 में "पट्टे" की परिभाषा को स्पष्ट किया है; और हरिद्वार पार्किंग का संचालन और रखरखाव इससे आच्छादित नहीं है। शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उसे भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 एवं भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 17 (डी) के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त, पार्किंग परिसर का अनुबंध स्टाम्प अधिनियम की धारा 2{16 (सी)} को पूर्णरूपेण आकृष्ट करता है।

ब) इसी प्रकार आई डी हरिद्वार में, खण्ड ने अपने नियंत्रणाधीन तीन पार्किंग स्थलों⁶⁷ को अलग-अलग निजी ठेकेदारों को आवंटित (मार्च, जून और दिसंबर 2019) किया था। आगे, यह पाया गया कि एक पार्किंग स्थल⁶⁸ को ₹ 8.15 करोड़ की धनराशि पर तीन वर्षों की अवधि हेतु आवंटित किया गया था। इस तथ्य के बावजूद कि पिछले वर्ष के दौरान उसी पार्किंग स्थल के लिए ठेकेदार पर अपेक्षित स्टाम्प शुल्क अधिरोपित किया गया था, खण्ड ने न तो ₹ 16.30 लाख का अपेक्षित स्टाम्प शुल्क और न ही ₹ 0.25 लाख का रजिस्ट्रेशन शुल्क अधिरोपित किया।

⁶⁶ धारा 105 के अनुसार, स्थावर संपत्ति की लीज़ ऐसी संपत्ति का उपभोग करने के अधिकार का ऐसा अंतरण है, जो एक अभिव्यक्त या विवक्षित समय के लिए या शाश्वत काल के लिए किसी कीमत के, जो दी गयी हो या जिसे देने का वचन दिया गया हो, अथवा धन, या फसलों के अंश या सेवा या किसी मूल्यवान वस्तु के, जो कालावधीय रूप से या विनिर्दिष्ट अवसरों पर अंतरिती द्वारा, जो उस अंतरण को ऐसे निबंधनों पर प्रतिगृहीत करता है, अंतरक को की या दी जानी है, प्रतिफल के रूप में किया गया हो।

⁶⁷ चंडी चौक के पास रोड़ी बेलवाला वाहन पार्किंग, बैरागी कैम्प वाहन पार्किंग, पंतद्वीप वाहन पार्किंग।

⁶⁸ पंतद्वीप वाहन पार्किंग।

इस ओर इंगित किये जाने पर, अधिशासी अभियंता, आई डी, हरिद्वार ने अवगत कराया कि लीज़धारक से ₹ 16.30 लाख की आपत्ति स्टाम्प शुल्क की धनराशि को वसूल (अक्टूबर 2020) कर लिया गया है तथा अनुबंध को नवम्बर 2020 में पंजीकृत (पंजीकरण शुल्क ₹ 0.25 लाख) कर दिया गया है।

इस प्रकार, पट्टे पर स्टाम्प शुल्क के साथ-साथ पंजीकरण शुल्क का उचित अधिरोपण न किए जाने के कारण राजकोष को कुल ₹ 49.81 लाख⁶⁹ के राजस्व की हानि हुई। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर ₹ 16.55 लाख की धनराशि वसूल कर ली गई और शेष ₹ 33.26 लाख की वसूली अभी बाकी है क्योंकि यू टी डी बी ने उपर्युक्त उल्लिखित भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 एवं धारा 38 और भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 (डी) के अनुसार कार्यवाई नहीं की थी।

⁶⁹ अ: ₹ (31.62+0.25+1.39) लाख + ब: ₹ (16.30+0.25) लाख = ₹ 49.81 लाख।